

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0  
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

सत्र प्रकरण क्रमांक: 124 / 2013  
संस्थित दिनांक-27.05.2013  
फाईलिंग नंबर-2303030011032013

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद, जिला-भिण्ड (म0प्र0) -----अभियोजन

### वि रू द्ध

- 1- संतोष जाटव पुत्र चेताराम जाटव उम्र 34 साल  
निवासी खिरकिया मुहल्ला वार्ड नंबर-3 गोहद
- 2- छोटेला पुत्र बाबूलाल मिर्धा उम्र 45 साल  
निवासी वार्ड नंबर-14 नगर पालिका के पास  
गोहद
- 3- राजवीर पुत्र अंतराम जाटव उम्र 40 साल  
निवासी ग्राम श्यामपुरा कला थाना अंबाह जिला  
मुरैना हाल गैस गोदाम भारत गैस एजेन्सी गोहद
- 4- राजकुमार सिंह पुत्र भगवानसिंह जाटव उम्र 30 साल  
निवासी ग्राम जल का नगरा थाना अंबाह जिला मुरैना  
हाल भारत गैस एजेन्सी गैस गोदाम गोहद .....आरोपीगण

---

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक  
आरोपीगण द्वारा श्री ए0के0 पटेरिया अधिवक्ता।

---

### **-:- निर्णय -:-**

(आज दिनांक 16.06.2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-307/34, 325/34, 323/34 दो बार एवं 294 भा0द0वि0 के तहत यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक- 01.03.2013 को दिन के करीब साढ़े चार बजे भारत गैस एजेन्सी बंधा के सामने गोहद चौराहा रोड गोहद थाना गोहद चौराहा स्थित सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत राघवेन्द्र एवं धर्मेन्द्र को जान से मारने की नीयत से सामान्य आशय का निर्माण किया और उसके अग्रसरण में उन्होंने लोहे के सरिया से सिर में पैराईटल रीजन में मारकर उस पर प्राणघातक हमला किया कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के दोषी होते जिसका उनको ज्ञान था या वह ऐसा संभाव्य जानते थे। एवं सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर निर्मित किये गये सामान्य आशय के अग्रसरण में राघवेन्द्रसिंह को सख्त मौथरी वस्तु लोहे के सरिया से सिर में

पैराइटल रीजन में मारकर स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की, तथा सह अभियुक्तगण के साथ ही मिलकर ही निर्मित किये गये सामान्य आशय के अग्रसरण में सख्त व मौथरी वस्तु हॉकी एवं सरिया से आहत राघवेन्द्र को दांये कंधे में मारकर एवं आहत धर्मेन्द्रसिंह को दाहिने हाथ के पंजा एवं पीठ में मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। एवं फरियादी तथा आहतगण को माँ बहिन की अश्लील गालियाँ दीं जिससे सुनने वालों को क्षोभकारित हुआ।

2. प्रकरण में निर्विवादित तथ्य है कि गोहद में भारत गैस एजेन्सी सीताराम के नाम से है। यह भी निर्विवादित है कि आरोपी राजकुमार उक्त एजेन्सी का व्यवसाय करता है। शेष आरोपीगण उक्त एजेन्सी पर प्राईवेट नौकरी करते हैं। प्रकरण में यह भी स्वीकृत है कि आहत राघवेन्द्र और धर्मेन्द्र सगे भाई हैं। साक्षी दीपू उनका सगा भतीजा है तथा गिराज परिवार का होकर निकट संबंधी हैं। यह भी स्वीकृत है कि भारत गैस एजेन्सी गोहद पर दोनों आहत धर्मेन्द्र और राघवेन्द्र का कोई गैस कनेक्शन नहीं था।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि फरियादी धर्मेन्द्र सिंह ने थाना गोहद में दिनांक 01.03.13 को 10.50 बजे यह सूचना दी कि वह ग्राम उरी का पुरा का रहने वाला है व खेती करता है। दिनांक 01.03.13 को वह तथा उसका छोटा भाई राघवेन्द्र भारत गैस एजेन्सी पर नियमानुसार गैस सिलैण्डर भरा लेने के लिये गोहद एजेन्सी आये थे तो उसने गैस एजेन्सी पर काम कर रहे राजकुमार निवासी जल का नगरा अंबाह को गैस सिलैण्डर की किताब दी तो उसने कहा कि एक घण्टे बाद आना। फिर वह तथा उसका भाई राघवेन्द्र साढे चार बजे गोहद भारत गैस एजेन्सी पर पहुंचे तो उसने सिलैण्डर मांगा। इसी बात पर से संतोष जाटव निवासी जल का नगरा व छोटेलाल मिर्धा निवासी पानी की टंकी के पास गोहद के उसे व उसके भाई को मादरचोद बहनचोद की बुरी बुरी गालियाँ देने लगे। बोले कि यह मादरचोद कहाँ कहाँ आ जाते हैं इन्हें जान से मार दो। तभी राजवीर ने उसके भाई राघवेन्द्र को जान से मारने की नीयत से सरिया मारा जो उसके सिर में दाहिनी तरफ लगा। खून बहने लगा। वह अपने भाई राघवेन्द्र को बचाने आया तो संतोष ने उसे जान से मारने की नीयत से दाहिने पैर घुटने में हॉकी मारी। खून निकल आया। राजकुमार ने दाहिने हाथ के पंजा में हॉकी मारी। मूंदी चोट आई। व छोटेलाल ने पीठ में सरिया मारा, मूंदी चोट आई। तब तक वहाँ पर खडे दीपूसिंह तोमर व गिराज तोमर एवं शब्बीर ने आकर बचाया। फिर यह लोग उसका सिलैण्डर व किताब दुकान एजेन्सी बंद कर भाग गये।
4. उक्त आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पर से अप.क्र.-38/13 पर धारा-323, 307 एवं 294/34 भा.दं.वि.के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आहतगण का मेडीकल करवाया गया, तत्पश्चात् सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
5. जे0एम0एफ0सी0 श्री केशवसिंह द्वारा प्रकरण उपार्पित किए जाने पर

माननीय सत्र खण्ड भिण्ड से अंतरित होकर विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

6. अभियोगपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा- 307/34, 325/34, 323/34 दो बार एवं 294 भा0द0वि0 के तहत आरोप लगाये जाने पर सभी आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में फरियादी द्वारा फ्री में गैस सिलैण्डर मांगने और न देने पर झूठा फंसाये जाने का आधार लिया है। उनकी ओर से बचाव में बंटी ब0सा0-1, साहिद अली ब0सा0-2 एवं श्याम ब0सा0-3 के कथन कराये गये हैं।

7. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1. क्या दिनांक 01.03.13 को दोपहर करीब साढ़े चार बजे भारत गैस एजेन्सी बंधा के सामने गोहद चौराहा रोड पर आरोपीगण ने धर्मेन्द्र व राघवेन्द्र को अश्लील गालियाँ देकर उन्हें व अन्य सुनने वालों को क्षोभकारित किया ?
2. क्या आरोपीगण ने दिनांक 01.03.13 की उक्त सुसंगत घटना में आहत राघवेन्द्र और धर्मेन्द्र पर प्राण घातक हमला गंभीर व साधारण उपहतियोंकारित करने के लिये आपस में मिलकर सामान्य आशय का निर्माण किया?
3. क्या आरोपीगण ने उक्त सुसंगत घटना में उक्त सामान्य आशय का अग्रसरण करते हुए आहत राघवेन्द्र एवं धर्मेन्द्र पर प्राण घातक हमला किया जिससे यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो वे हत्या के अपराध के लिये दोषी होते?
4. क्या आरोपीगण ने उक्त सुसंगत घटना में उक्त सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए आहत राघवेन्द्र सिंह को सख्त व मौथरे हथियारों से सिर के पैराईटल भाग में चोटें पहुंचाकर स्वेच्छ्या गंभीर उपहति कारित की?
5. क्या आरोपीगण ने उक्त सुसंगत घटना में उक्त सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए आहत राघवेन्द्र एवं धर्मेन्द्र को शरीर के अन्य भागों पर चोटें पहुंचाकर स्वेच्छ्या साधारण उपहतियों कारित की?

-:-निष्कर्ष के आधार :-

-:-विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 का निराकरण :-

8. उक्त आरोप के संबंध में अभियोजन कथानक मुताबिक यह घटना बताई गई है कि जब आहतगण राघवेन्द्र और धर्मेन्द्र भारत गैस एजेन्सी पर दिन के करीब साढ़े तीन बजे नियमानुसार गैस सप्लाई लेने के लिये गये थे तो उन्हें आरोपी राजकुमार ने एक घण्टे बाद आने को कहा और फिर वह जब करीब दोपहर साढ़े चार बजे गैस एजेन्सी के कार्यालय पर पहुंचे और सिलैण्डर मांगा तो इसी बात पर चारों आरोपीगण के द्वारा उन्हें मादरचोद बहनचोद की बुरी बुरी

गालियों। देते हुए कहा कि यह मादरचोद बार बाद आ जाते हैं। इन सालों को जान से मार दो, की घटना बताई गई है। धारा-294 भा.दं.वि.के के अपराध के प्रमाण के लिये इस आशय की साक्ष्य आवश्यक है कि घटनास्थल लोक स्थान या लोक दृश्य स्थान होना चाहिए। उच्चारित शब्द अश्लीलता की परिधि में आने चाहिए जिससे सुनने वालों को क्षोभकारित किये जाने की उपधारणा निर्मित की जा सके। इस संबंध में अभिलेख पर जो मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य आई है उसमें प्र0पी0-3 की एफ0आई0आर0 में घटना भारत गैस एजेन्सी बंधा के सामने रोड की बताई गई है। प्र0पी0-2 के नक्शा-मौका में भी घटनास्थल गैस एजेन्सी के सामने सड़क के दूसरी तरफ किनारे के पास की बताई गई है। जहाँ पत्थर का फड और खाली जगह है। अर्थात् कथानक मुताबिक घटनास्थल लोक स्थान की श्रेणी का बताया गया है और मादरचोद बहनचोद की गालियों दिया जाना बताया गया है। जो अश्लीलता की परिधि में आती हैं जिसके संबंध में मौखिक साक्ष्य को देखा जाये तो घटना के आहत व रिपोर्टकर्ता धर्मेन्द्र तोमर अ0सा0-2 ने अपने मुख्य परीक्षण के पैरा-1 में यह कहा है कि जब वह और उसका भाई राघवेन्द्र गैस एजेन्सी पर एक घण्टे बाद दुबारा गये तो आरोपीगण एजेन्सी पर बैठे मिले जिन्होंने उन्हें देखते ही मादरचोद बहनचोद की गालियों दीं और बोले कि मादरचोदों को जान से मार दो। यह बार-बार आ जाते हैं। अर्थात् अ0सा0-1 के मुताबिक पूर्व से कोई विवाद नहीं था और अकारण ही गालियों देना वह बताता है। इस बिन्दु पर उसके अभिसाक्ष्य के पैरा-6 में यह भी उसने बताया है कि सभी आरोपीगण गालियों इकट्ठे दे रहे थे। कौन क्या गाली दे रहा था, यह वह नहीं बता सकता है। सबने एकसाथ गालियों दी थीं। और राजकुमार ने कहा था कि यह रोज रोज आ जाते हैं, जान से मार दो। पैरा-7 में उसने घटनास्थल बंधा के सामने रोड का बताया है।

9. इस संबंध में घटना के दूसरे आहत राघवेन्द्र सिंह तोमर अ0सा0-4 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में पैरा-1 में यही बताया है कि जब वह और उसका भाई धर्मेन्द्र एजेन्सी पर एक घण्टे बाद पहुंचे तो आरोपीगण मादरचोद बहनचोद की गंदी गंदी गालियों देने लगे। सिलैण्डर नहीं भरे। पैरा-4 में उसने यह कहा है कि उसे सबसे पहले संतोष ने गाली दी थीं बाद में सभी मादरचोद बहनचोद की गालियों देने लगे थे। किसने कौनसी गाली दी वह यह नहीं बता सकता है। बताये गये चक्षुदर्शी साक्षी दीपू अ0सा0-5 ने भी पैरा-1 में चारों आरोपीगण के द्वारा धर्मेन्द्र व राघवेन्द्र को मादरचोद व बहनचोद की अश्लील गालियों देना बताया है। तथा गिर्राज अ0सा0-6 ने भी आरोपीगण के द्वारा धर्मेन्द्र, राघवेन्द्र को माँ बहिन की गालियों देना कहा है और यह भी बताया है कि उन्होंने बोला था कि धर्मेन्द्र व राघवेन्द्र को जान से मार देते हैं। ऐसा ही गब्बर अ0सा0-10 ने भी अपने कथन में बताया है।

10. इस बिन्दु पर आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि आरोपीगण को गैस एजेन्सी पर काम करने वाले कर्मचारियों के रूप में बताया गया है। कोई भी दुकानदार ग्राहकों से शालीनता से पेश आता है और आरोपीगण की फरियादी/आहत से कोई पूर्व की रंजिश या बुराई नहीं थी। ऐसे में उनका बिना किसी कारण के गाली-गलौच किये जाने का जो कथानक है वह पूर्ण रूप से असत्य है। तथा विधिक रूप से उक्त आरोप प्रमाणित नहीं हैं।



जबकि वे नियमानुसार गैस सिलैण्डरों का वितरण करना बताये गये हैं जिसका विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा विरोध किया गया है कि आरोप अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित हैं।

11. धारा-294 भा.दं.वि. का अपराध व्यक्तिगत श्रेणी का होता है। इसलिये प्रत्येक आरोप के संबंध में अश्लील गालियों के उच्चारण के मामले में स्पष्ट साक्ष्य अपेक्षित है क्योंकि अश्लीलता का अर्थ उससे प्रभावित व्यक्तियों के सामाजिक वर्ग और नैतिक मूल्यों के प्रति उनकी संवेदनशीलता के प्रकाश में किया जाना चाहिए। माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **विष्णूप्रसाद विरुद्ध स्टेट 1971 जे0एल0जे0 नोट-148** में इस संबंध में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अश्लीलता का संदर्भ यौनाचार्य या अनैतिकता से है। मात्र माँ बहिन की गालियाँ देना बताया जाना अश्लीलता नहीं माना जा सकता है। प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **सोवरन विरुद्ध स्टेट 1962 जे0एल0जे0 नोट 135** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अश्लील शब्द साला और बहनचोद आम भाषा के शब्द होना बताये गये हैं जो शिष्टाचार के विपरीत अवश्य हैं किन्तु अश्लीलता की श्रेणी में नहीं माने जा सकते हैं।
12. विचाराधीन मामले में चारों आरोपीगण का एकसाथ मादरचोद बहनचोद की गालियाँ राघवेन्द्र और धर्मेन्द्र को देना बताई गई हैं। बताये गये चक्षुदर्शी तीनों साक्षी दीपू गिराज और गब्बरसिंह भी उन्हें सुनना बताते हैं किन्तु वे यह स्पष्ट करने में असमर्थ हैं कि किस आरोपी ने कौनसे शब्द कहे थे। अर्थात् इस बिन्दु पर अभियोजन की सामूहिक स्वरूप की साक्ष्य अभिलेख पर आई है और न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ रामअवतार 1985 किमिनल लॉ रिपोर्टर (एम0पी0) पेज-1** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ कई अभियुक्तों के विरुद्ध अश्लील शब्दों का प्रयोग तथा धमकी देने का आरोप हो तो साक्षी का मात्र यह कह देना पर्याप्त नहीं होगा कि सभी आरोपीगण ने गालियाँ और धमकी दी थी। बल्कि और अभियुक्तगण के विरुद्ध विनिर्दिष्ट स्वरूप की साक्ष्य होनी चाहिए। अर्थात् सामूहिक स्वरूप की साक्ष्य स्वीकार योग्य नहीं होगी। इस मामले में सामूहिक स्वरूप की ही साक्ष्य आई है और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर काम करने वालों के द्वारा ग्राहकों के रूप में आहतगण को देना बताई गई है जो कि उक्त न्याय दृष्टांत के मार्गदर्शन को देखते हुए ग्राह्य योग्य नहीं हैं। हालांकि घटनास्थल लोक स्थान की श्रेणी में अवश्य आता है किन्तु सामूहिक स्वरूप की साक्ष्य को देखते हुए धारा-294 भा.दं.वि. का आरोप संदिग्ध पाया जाता है। फलतः आरोपीगण को धारा-294 भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक- 2 लगायत 5 का निराकरण

13. उपरोक्त चारों विचारणीय प्रश्न एक दूसरे से संबंधित होने से उपरोक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एकसाथ किया जा रहा है।
14. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभिलेख पर प्रस्तुत की गई चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्यांकन सर्वप्रथम किया जाना उचित होगा। प्रकरण में घटना के आहत धर्मेन्द्र एवं राघवेन्द्र बताये गये हैं जिनके संबंध में डॉ0 आलोक

शर्मा अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 01.03.13 को वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडिकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आहत धर्मेन्द्र तथा राघवेन्द्र को चोटों के परीक्षण हेतु लाया गया था जिसकी चोटों का उसने परीक्षण किया था। आहत धर्मेन्द्र के बांये हाथ के पीछे की तरफ 1.5 गुणित 0.3 से0मी0 तथा 01 गुणित 03 से0मी0 रगड के निशान पाये थे। और चोट क्रमांक-2 बांये घुटने में 1.8 गुणित 1 से0मी0 का रगड का निशान पाया था। आहत धर्मेन्द्र की चोटों की एम0एल0सी0 रिपोर्ट प्र0पी0-1 तैयार करना बताते हुए आहत धर्मेन्द्र का मेडिकल परीक्षण शाम 5:25 बजे किया जाना बताया है और परीक्षण से छः घण्टे के भीतर की चोटें बताते हुए सख्त व मौथरी वस्तु की और साधारण प्रकृति की चोटें बताई हैं। उक्त आहत धर्मेन्द्र को आई चोटें गाड़ी चलाते समय गिर जाने पर भी आने की संभावना प्रतिपरीक्षण के पैरा-3 में व्यक्त की है। आहत धर्मेन्द्र का और कोई अग्रिम चिकित्सीय परीक्षण उपचार आदि नहीं हुआ है। उसकी दोनों चोटें प्र0पी0-1 की एम0एल0सी0 रिपोर्ट मुताबिक शरीर के मार्मिक अंगों पर नहीं हैं और मात्र रगड के रूप में होकर साधारण हैं। इसलिये चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर आहत धर्मेन्द्र की चोटें धारा-307 भा.दं.वि. या धारा-325 भा.दं.वि. की परिधि की प्रकट नहीं होती हैं और उसकी चोटों के संबंध में मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह देखना होगा कि उसे उत्पन्न चोटों के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य किस श्रेणी की है। अर्थात् चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर धर्मेन्द्र की चोटें अत्यंत साधारण स्वरूप की ही हैं।

15. आहत राघवेन्द्र के संबंध में डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा0-1 के द्वारा इस आशय की साक्ष्य दी गई है कि राघवेन्द्र का भी उसने दिनांक 01.03.13 को ही शाम के 5.15 बजे मेडिकल परीक्षण किया था जिसमें राघवेन्द्र के सिर के दाहिनी तरफ 2 गुणित 0.3 गुणित 02 से0मी0 का फटा हुआ घाव पाया था। तथा बांये बखा में 2 गुणित 1.5 से0मी0 का नीलगू निशान पाया था। चोट क्रमांक-3 के रूप में दाहिने कान से खून बह रहा था और कान का पर्दा साफ नहीं दिख रहा था। इसलिये उसने चोट क्रमांक-3 के लिये नाक, कान गला विशेषज्ञ हेतु जे0ए0एच0 हॉस्पिटल ग्वालियर रिफर किया था। उक्त चिकित्सक ने आहत राघवेन्द्र की चोटों के संबंध में मेडिकल रिपोर्ट प्र0पी0-2 तैयार करना बताते हुए परीक्षण से छः घण्टे के भीतर की चोटें बताई हैं तथा दाहिने कान से खून निकलने वाली चोट के अलावा शेष दोनों चोटें साधारण प्रकृति की होना बताया है और यह भी कहा है कि राघवेन्द्र की चोट क्रमांक-1 शरीर के मार्मिक अंग पर होकर साधारण थी। उक्त चिकित्सक ने यह भी स्वीकार किया है कि वह नाक, कान, गला विशेषज्ञ है और उसने कान की चोट का परीक्षण नहीं किया था। कान की चोट के संबंध में उसका यह भी कहना रहा है कि यदि कान के अंदर किसी हड्डी की चोट हो तो वगैर सी0टी0 स्कैन के अभिमत दिया जाना संभव नहीं है। तथा सामान्य परिस्थितियों में कान के अंदर कोई कडी या नुकीली वस्तु जाये तो कान से खून आना संभव है। राघवेन्द्र की चोट भी मोटरसाईकिल से गिरने पर आने की संभावना व्यक्त करते हुए यह कहा है कि पुलिस ने उससे चोटों के बाबत कोई क्वेरी नहीं कराई थी। राघवेन्द्र के कान की चोट गंभीर मानते हुए उसने जे0ए0एच0 हॉस्पिटल ग्वालियर को रिफर किया था।

16. आहत राघवेन्द्र के संबंध में डॉ० आदित्य श्रीवास्तव अ०सा०-15 के द्वारा इस आशय की साक्ष्य दी गई है कि वह दिनांक 01.03.13 को सहायक अध्यापक न्यूरो सर्जरी विभाग ट्रॉमा सेन्टर जे०ए०एच० ग्वालियर में पदस्थ था। तब राघवेन्द्र को घायल अवस्था में लाया गया था। उसने प्रारंभिक उपचार एवं परीक्षण के उपरान्त यह पाया था कि उक्त आहत के सिर में चोट थी और दांये कान में से खून आ रहा था। उसकी सी०टी० स्कैन करवाई गई थी जिसमें दांहिने पैराईटल और टैम्पोरल बोन में फ्रैक्चर था। खून का थक्का जमा हुआ था। उपचार के दौरान वह होश में था। उपचार के उपरान्त उसे दिनांक 03.03.13 को डिस्चार्ज किया गया था। उसके निर्देशन में आहत राघवेन्द्र के उपचार और परीक्षण से संबंधित दस्तावेज उसके सहायक डॉ० सुमित द्वारा लिखे गये थे जो उसके अधीन कार्य करता था जिसकी वह हस्तलिपि व हस्ताक्षर पहचानता है तथा उक्त चिकित्सक ने राघवेन्द्र की चोट गंभीर प्रकृति की होना बताया है। यह स्वीकार किया है कि गंभीर प्रकृति की चोट होने का उल्लेख दस्तावेज में नहीं किया है और आहत को जब डिस्चार्ज किया गया था तब वह पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं था। डिस्चार्ज टिकट उसके द्वारा नहीं लिखा गया था, उसके सहायक ने लिखा था। आहत की चोट कितनी पुरानी थी, उसकी समयावधि का उल्लेख दस्तावेज में नहीं होना बताते हुए उक्त चिकित्सक ने भी यह स्वीकार किया है कि आहत राघवेन्द्र को आई चोट मोटरसाईकिल से गिरने पर आना संभव है। उक्त चिकित्सक के अभिसाक्ष से कोई भी चिकित्सीय दस्तावेज प्रदर्श नहीं कराया गया है।
17. डॉ० अवतारसिंह अ०सा०-13 ने अपने अभिसाक्ष में दिनांक 03.03.13 को शल्य क्रिया विशेषज्ञ के पद पर ट्रॉमा सेन्टर जे०ए०एच० हॉस्पिटल ग्वालियर में आकस्मिक ड्यूटी में होना बताते हुए यह कहा है कि दिनांक 01.03.13 को राघवेन्द्र भर्ती हुआ था जिसे न्यूरोसर्जन डॉ० आदित्य श्रीवास्तव की सलाह पर उसके द्वारा डिस्चार्ज करते हुए डिस्चार्ज टिकट दिया गया था। उसने राघवेन्द्र की स्वयं कोई जांच नहीं की है। डिस्चार्ज टिकट पर उसने हस्ताक्षर करना बताते हुए यह कहा है कि डिस्चार्ज टिकट उसके निर्देशानुसार उसके जूनियर डॉक्टर ने लिखा था और यह भी कहा है कि राघवेन्द्र को डिस्चार्ज करते समय वह सामान्य स्थिति में था और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहा था। उक्त चिकित्सक से भी कोई चिकित्सीय दस्तावेज या डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श अंकित नहीं कराया गया है।
18. डॉ० विवेक जैन अ०सा०-14 ने अपने अभिसाक्ष में यह बताया है कि दिनांक 04.03.13 को वह रीलाईफ अस्पताल ग्वालियर में विजिटिंग चिकित्सक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आहत राघवेन्द्र इलाज हेतु भर्ती हुआ था। उसके पूर्व उसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद और जे०ए०एच० हॉस्पिटल ग्वालियर में हुआ था। उनके अस्पताल में राघवेन्द्र के इलाज के दौरान उसने परीक्षण करने पर उसके सिर में गंभीर चोटें पाई थीं जो प्राण घातक थीं। आहत की खोपड़ी पर बाई ओर गहरा घाव था। चार टांके लगे हुए थे। वह होश में था और उसके हाथ पैर काम कर रहे थे जिसका अस्पताल में दिनांक 04.03.13 से 19.03.13 तक भर्ती रहकर इलाज हुआ था जिसके इलाज की केसशीट प्र०पी०-18 है। उसने दिनांक 05 एवं 06 मार्च 2013 को भी आहत



राघवेन्द्र की चोटों का परीक्षण करके उपचार जारी रखने के लिये लिखा था जिसकी प्रोग्रेस नोट शीट प्र0पी0-19 एवं 20 है जो उक्त चिकित्सक ने अपनी हस्तलिपि में बताई है। उसके बाद उसके सहायक चिकित्सकों के द्वारा आहत का उपचार किया जाता रहा और दिनांक 19.03.13 को उसने आहत का पुनः परीक्षण करके उसे डिस्चार्ज किया था और आगे इलाज जारी रखने की सलाह दी थी जिसकी प्रोग्रेस नोटशीट प्र0पी0-21 है।

19. अ0सा0-14 ने अपने अभिसाक्ष्य में पैरा-3 में यह बताया है कि उसे विशेषज्ञ के तौर पर बुलाया गया था और वह प्राईवेट डी0एम0 न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ है। उसने आहत के जे0ए0एच0 के पर्चे व डिस्चार्ज टिकट देखे थे। उस समय कोई चोट प्राण घातक होना अंकित नहीं था। साक्षी ने स्वतः कहा कि सी0टी0 स्कैन में जिन चोटों का उल्लेख है वे चोटें उसके मतानुसार प्राण घातक हो सकती थीं, यदि समय पर इलाज नहीं हुआ हो। और यह स्वीकार किया है कि राघवेन्द्र की चोटों का समय पर इलाज हुआ था। उसका यह भी कहना है कि सी0टी0 स्कैन के लिये जे0ए0एच0 हॉस्पिटल वालों ने ही रिफर किया था और सी0टी0 स्कैन के बाद तीन दिन जे0ए0एच0 हॉस्पिटल में आहत का उपचार हुआ था और जब जे0ए0एच0 हॉस्पिटल ग्वालियर से आहत को डिस्चार्ज किया गया था तब वह सुरक्षित था उसे उचित रूप से डिस्चार्ज किया गया था। उसके बाद एक दिन वह घर पर सही रहा था। फिर वह अस्पताल में सिरदर्द व चक्कर आने की शिकायत बताते हुए आया था जिसे रीलाईफ अस्पताल प्रबंधन ने भर्ती किया था। उसके बाद उसने देखा था।

20. अ0सा0-14 का पैरा-3 में यह भी कहना रहा है कि उसने आहत राघवेन्द्र को चार पांच एवं छः तारीखों को भर्ती रहने के दौरान देखा था। उसके बाद उन्नीस तारीख को ही उसके द्वारा देखा गया था। पैरा-4 में यह स्वीकार किया है कि उसने कोई सी0टी0 स्कैन नहीं कराया था। आहत ने झगड़े में चोटें आना बताई थीं। झगड़ा कब, किससे हुआ और किस हथियार से चोटें आईं, यह उसने नहीं पूछा क्योंकि ऐसा एम0एल0सी0 करने वाले लिखते हैं। यह भी स्वीकार किया है कि प्र0पी0-18 में आहत की चोटें प्राण घातक होने का उल्लेख नहीं है और वह अपना मत सी0टी0 स्कैन के आधार पर देना बताता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि यदि किसी आहत के शरीर के अमार्मिक अंग पर साधारण चोट आये और रक्त स्राव हो तथा उसका उपचार न किया जाये तो वह चोट भी प्राण घातक हो सकती है। प्र0पी0-18 व 19 में चोटों की समयावधि आहत के बताये अनुसार लेखबद्ध करना भी उक्त चिकित्सक बताता है। अपने अभिमत अनुसार समयावधि उसने नहीं लिखी। पैरा-6 में उसका यह भी कहना है कि सी0टी0 स्कैन मुताबिक सिर में एक फ्रैक्चर था एवं अन्य चोटें थीं। सिर के अंदर कई चोटें होना भी उक्त चिकित्सक कहता है जिसकी वह संख्या नहीं बता सकता है और अंत में यह भी स्वीकार किया है कि प्र0पी0-20 के मुताबिक दिनांक 03.06.13 को आहत की स्थिति सामान्य थी।

21. इस संबंध में विद्वान ए0जी0पी0 का यह तर्क रहा है कि चिकित्सकों की साक्ष्य के आधार पर आहत धर्मेन्द्र की चोटें अवश्य साधारण स्वरूप की हैं किन्तु राघवेन्द्र की चोट गंभीर और प्राण घातक है इसलिये राघवेन्द्र के संबंध में विरचित आरोप धारा-307 एवं 325 चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर साबित मानी



जावें। जबकि बचाव पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत रूप से किये गये तर्कों में चिकित्सीय साक्ष्य के संबंध में यह बताया गया है कि बताये गये आहत धर्मेन्द्र एवं राघवेन्द्र का प्रारंभिक स्तर पर डॉ० आलोक शर्मा के द्वारा मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसने धर्मेन्द्र की दोनों चोटों साधारण बताई हैं जो शरीर के अमार्मिक अंग पर होकर मात्र रगड़ के रूप में हैं जिससे किसी भी रूप में धारा-307 एवं 325 आकर्षित नहीं होते हैं और राघवेन्द्र को डॉ० आलोक शर्मा के द्वारा परीक्षित किये जाने पर सिर में दांयी ओर फटा घाव, बांये कंधे पर नीलगू और बांये कान से खून निकलना पाया था। कान की चोट के लिये ही उसे जे०ए०एच० हॉस्पिटल रिफर किया गया था। सिर और कंधे की चोटें साधारण पाई जाकर सख्त व मोथरी वस्तु से आना बताई गई हैं। डॉ० आलोक शर्मा ई०एन०टी० विशेषज्ञ होते हुए उसने कान के बारे में कोई स्पष्ट राय नहीं दी है और आहत राघवेन्द्र का किसी ई०एन०टी० विशेषज्ञ द्वारा अग्रिम परीक्षण नहीं किया न ही कोई ई०एन०टी० विशेषज्ञ की रिपोर्ट राघवेन्द्र की कान की चोट के संबंध में अभिलेख पर है इसलिये उसकी कान की चोट भी साधारण प्रकृति की ही मानी जावेगी। राघवेन्द्र को जे०ए०एच० हॉस्पिटल में डॉ० आदित्य श्रीवास्तव के द्वारा परीक्षित किया गया। तीसरे दिन उसे स्वस्थ बताते हुए डिस्चार्ज किया गया जिसके संबंध में डॉ० अवतारसिंह का भी साक्ष्य है और उक्त दोनों चिकित्सकों ने राघवेन्द्र की चोट प्राण घातक होने का कोई मत नहीं दिया है। डॉ० अवतारसिंह ने तो आहत राघवेन्द्र को देखा भी नहीं है। अपितु वरिष्ठ चिकित्सक की राय पर डिस्चार्ज किया और उस समय उसे सामान्य स्थिति में पाया। अभिलेख पर कोई डिस्चार्ज टिकट भी पेश नहीं है।

22. बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि डॉ० आदित्य श्रीवास्तव सी०टी० स्कैन रिपोर्ट के आधार पर दाहिने पैराइटल टैम्पोरल हड्डी में अस्थिभंजन पाना कहता है किन्तु अस्थिभंजन की कोई रिपोर्ट अभिलेख पर पेश ही नहीं की गई है। चोट कितनी पुरानी थी यह राय भी चिकित्सक ने नहीं दी है तथा मोटरसाईकिल से गिरने से चोटें आना बताया है। इसलिये डॉ० आदित्य श्रीवास्तव और डॉ० अवतारसिंह की साक्ष्य बिना किसी दस्तावेज पर आधारित होकर स्वीकार योग्य नहीं है और उसके आधार पर राघवेन्द्र के सिर की चोट जिसे डॉ० आलोक शर्मा ने साधारण बताया था वह साधारण स्वरूप की ही मानी जावेगी। डॉ० विवेक जैन प्राईवेट चिकित्सक है और जे०ए०एच० हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आहत राघवेन्द्र एक दिन घर पर रहा है फिर वह सिरदर्द व चक्कर आने की शिकायत लेकर अपने स्वयं के विवेक से प्राईवेट अस्पताल में गया और प्राईवेट अस्पताल में उसने अपना उपचार कराया जबकि किसी चिकित्सक ने उसे रिफर नहीं किया और प्राईवेट चिकित्सकों से मिलकर झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार कराई गई। डॉ० विवेक जैन भी यह मानता है कि जब उसने प्राईवेट रीलाईफ अस्पताल में आहत राघवेन्द्र को देखा था उस समय उसे कोई प्राण घातक चोट जे०ए०एच० हॉस्पिटल के डिस्चार्ज टिकट में अंकित नहीं थी। उसका यह कहना रहा है कि कोई भी चोट प्राण घातक हो सकती है, यदि उसका समय पर इलाज नहीं हुआ है और राघवेन्द्र का समय पर इलाज होना भी चिकित्सक ने माना है। इसलिये डॉ० विवेक जैन की राय सिर की चोट के संबंध में स्वीकार योग्य नहीं मानी जायेगी। जो कि प्राण घातक और गंभीर चोट बताता

है क्योंकि उसके द्वारा भी सी0टी0 स्कैन के आधार पर ही चोट प्राण घातक कही गई है जबकि सी0टी0 स्कैन की कोई रिपोर्ट न्यायालय में पेश ही नहीं हुई है। तथा डॉ0 विवेक जैन की प्र0पी0-18 व 19 में चोटों की कोई समयावधि उसने विशेषज्ञ के तौर पर नहीं लिखी बल्कि आहत के बताये अनुसार लिख दी है जो स्वीकार योग्य नहीं है और प्र0पी0-18 में प्राण घातक चोट का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, यह स्वयं अ0सा0-14 मानता है। इसलिये आहत राघवेन्द्र की चोट भी साधारण प्रकृति की ही चिकित्सीय साक्ष्य और राय के आधार पर परिलक्षित होती है तथा किसी भी चिकित्सक द्वारा एक्सरे परीक्षण नहीं कराया गया है। सी0टी0 स्कैन रिपोर्ट के आधार पर जो चिकित्सक राय व्यक्त कर रहे हैं उसके संबंध में स्वयं आहत राघवेन्द्र अ0सा0-4 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में नहीं बताया गया है कि उसके उपचार के दौरान उसका कोई सी0टी0 स्कैन परीक्षण या एक्सरे परीक्षण कराया गया था।

23. बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि मामला झूठा होने के कारण आरोपीगण ने विवेचना के दौरान कलैक्टर भिण्ड को राघवेन्द्र की चोट के संबंध में मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराये जाने की प्रार्थना की गई है और कलैक्टर भिण्ड द्वारा आदेश भी किया गया था। राघवेन्द्र को मेडिकल बोर्ड के माध्यम से परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय भिण्ड में आहूत भी किया गया था किन्तु वह कलैक्टर के आदेश की अवहेलना करते हुए मेडिकल बोर्ड के समक्ष जान-बूझकर उपस्थित ही नहीं हुआ है। इसलिये प्राईवेट चिकित्सकों की राय के आधार पर राघवेन्द्र की कोई भी चोट प्राण घातक या गंभीर श्रेणी की नहीं मानी जा सकती है। यह तर्क भी किया गया है कि राघवेन्द्र के सिर में अस्थिभंगन के संबंध में या सी0टी0 स्कैन रिपोर्ट के संबंध में धारा-313 दफ़्तर के तहत किये गये परीक्षण में भी कोई प्रश्न नहीं पूछे गये हैं। इस आधार पर मामले को संदिग्ध माने जाने का भी तर्क किया गया है।

24. जहाँ तक आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित धारा-307/34 भा.दं.वि. लगाई गई है वह दोनों आहतों के संबंध में हैं। आहत धर्मेन्द्र के संबंध में केवल प्र0पी0-1 ही चिकित्सीय साक्ष्य के रूप में एम0एल0सी0 रिपोर्ट अभिलेख पर है जिसके मुताबिक उसकी दोनों चोटें जो कि शरीर के अमार्मिक अंगों पर होकर साधारण स्वरूप की हैं और सख्त व मौथरी वस्तु की बताई गई हैं, वह चिकित्सीय राय के आधार पर धारा-323 भा.दं.वि. की परिधि की परिलक्षित होती हैं। जहाँ तक यह आक्षेप है कि धर्मेन्द्र को चोटें जान से मारने की नीयत से पहुंचाई गई, आरोपीगण का हेतुक (motive) और आशय (intention) के बारे में प्रत्यक्ष साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय विचार करना होगा कि आरोपीगण के द्वारा ही चोटें पहुंचाई गई और जान से मारने की नीयत से पहुंचाई गई या नहीं। किन्तु चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर तो धर्मेन्द्र की चोटें धारा-323 भा.दं.वि. की परिधि की ही परिलक्षित होती हैं। जहाँ तक आहत राघवेन्द्र की चोटों का प्रश्न है, उसके संबंध में विधिक स्थिति को देखा जाये तो धारा-307 भा.दं.वि. के अपराध के प्रमाणन हेतु चोटें धारा-300 भा.दं.वि. के प्रवर्ग के अंतर्गत आना आवश्यक हैं। जैसा कि न्याय दृष्टांत चन्द्रभानसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 2011 आई0एल0आर0 वोल्यूम-3 एम0पी0 सीरीज एन0ओ0सी0-79 में माननीय मध्यप्रदेश उच्च

न्यायालय द्वारा मार्गदर्शित किया गया है। इसलिये यह भी देखना होगा कि राघवेन्द्र की कोई चोट धारा-307 भा.दं.वि. के प्रवर्ग के अंतर्गत आती है या नहीं। प्रस्तुत किये गये अन्य न्याय दृष्टांत **अब्दुल वाहिद विरुद्ध स्टेट ऑफ यू0पी0 1980 सी0आर0एल0जे0 एन0ओ0सी0-77** में यह मार्गदर्शित किया गया है कि धारा-307 भा.दं.वि. के मामले की संवीक्षा करते समय न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह विधिक रूप से यह देखे कि अभियुक्त के विरुद्ध किस धारा के अंतर्गत मामला बनता है और जिस धारा के अंतर्गत बनता हो उसी में दोषसिद्धि की जानी चाहिए। इसलिये राघवेन्द्र की चोटों के संबंध में चिकित्सीय साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि परीक्षित चिकित्सकों अ0सा0-1 एवं 13 लगायत 15 के अभिसाक्ष्य में भिन्नतापूर्ण स्थिति परिलक्षित की गई है और डॉ0 आलोक शर्मा ने किसी भी चोट को प्राण घातक नहीं लिखा है। केवल प्राईवेट अस्पताल के चिकित्सक द्वारा प्राण घातक होने का मत दिया गया है। न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल विरुद्ध मीर मुहम्मद एवं अन्य ए0आई0आर0 2000 सुप्रीमकोर्ट पेज-298** में यह मार्गदर्शित किया गया है कि चोट की प्रकृति, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु के लिये पर्याप्त है या नहीं, इसके संबंध में यदि चिकित्सक ने न लिखा हो तो न्यायालय स्वयं भी उसे देख सकता है।

25. हस्तगत मामले में आहत राघवेन्द्र की चोटों के संबंध में यदि विचार किया जाये तो अभियोजन कथानक मुताबिक उसे केवल सिर में दाहिनी तरफ एक चोट ही बताई गई है। जैसा कि एफ0आई0आर0 और आहत धर्मेन्द्र और राघवेन्द्र के पुलिस कथन प्र0डी0-1 व 2 में भी अनुसंधान के दौरान बताये गये चक्षुदर्शी साक्षी दीपू के प्र0डी0-3 के पुलिस कथन में भी राघवेन्द्र को एक ही चोट बताई गई है। कथानक मुताबिक आरोपी राजवीर के द्वारा राघवेन्द्र के सिर में दांयी तरफ सरिया मारना बताया है जिससे खून निकला। उसे और कोई चोट नहीं बताई गई है। किन्तु आहत राघवेन्द्र को मेडिकल परीक्षण हेतु जो मुलाहिजा फॉर्म भरकर सी0एच0सी0 गोहद भेजा गया था उसमें सिर की चोट के अलावा शरीर की अन्य जगह में चोटें आना बताये जाने पर पुलिस द्वारा लिखा गया किन्तु उस समय उन्हें चोटें नहीं दिखीं। डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा0-1 के द्वारा प्र0पी0-2 की जो एम0एल0सी0 रिपोर्ट आहत राघवेन्द्र के संबंध में प्रमाणित की गई है उसमें उसे जो तीन चोटें बताई गई हैं, तीनों ही शरीर के दाहिनी तरफ हैं जिसमें चोट नंबर-1 सिर के दांये तरफ पैराइटल रीजन में फटे घाव के रूप में बताई गई हैं। तथा चोट नंबर-2 के रूप में दाहिने कंधे पर पीछे मुंदी चोट बताई गई और दाहिने कान से ही खून निकलने की बात चिकित्सक ने बताई है। जबकि कान से खून निकलने का उल्लेख मुलाहिजा फॉर्म में नहीं है। न ही एफ0आई0आर0 या पुलिस कथनों में राघवेन्द्र के दाहिने कान से खून निकलने की कोई चोट बताई गई है। डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा0-1 के मुताबिक सिर की चोट साधारण स्वरूप की बताई गई है और उसके लिये उसने आहत को अग्रिम उपचार के लिये जे0ए0एच0 हॉस्पिटल रिफर नहीं किया है बल्कि कान की चोट के लिये रिफर किया था। किन्तु जे0ए0एच0 हॉस्पिटल में या राघवेन्द्र द्वारा प्राईवेट अस्पताल में कराये गये उपचार में उसके दाहिने कान में कोई चोट किसी चिकित्सक ने नहीं बताई न ही ई0एन0टी0 विशेषज्ञ की कोई रिपोर्ट अभिलेख पर



है।

26. यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०-1 मूलतः नाक, कान, गला विशेषज्ञ ही है। जैसा कि उसने प्रतिपरीक्षण के पैरा-3 में स्वीकार भी किया है। ऐसे में कान की जो चोट डॉ० आलोक शर्मा ने पाई उसके संबंध में वह स्वयं अभिमत प्र०पी०-2 की एम०एल०सी० में देने में समर्थ था। ई०एन०टी० विशेषज्ञ होते हुए उससे अग्रिम विवेचना में पुलिस द्वारा कोई क्वेरी भी नहीं कराई गई। इससे कान की चोट के संबंध में कोई स्पष्ट और निश्चित चिकित्सीय राय अभिलेख पर नहीं आई है जिसके लिये ही आहत राघवेन्द्र को रिफर किया गया था। यह उसकी चोटों के संबंध में संदेह और भ्रमपूर्ण स्थिति उत्पन्न करता है और यदि डॉ० आलोक शर्मा की प्र०पी०-2 की मेडिकल रिपोर्ट को माना जावे तो कान के अलावा शेष चोटें साधारण हैं। जबकि सिर की चोट जो फटे घाव के रूप में साधारण प्र०पी०-2 मुताबिक बताई गई है, उसके संबंध में डॉ० आदित्य श्रीवास्तव सी०टी० स्कैन के आधार पर अस्थिभंजन पाये जाने का साक्ष्य देते हैं।
27. अभिलेख पर उक्त चिकित्सक अ०सा०-15 की कोई भी रिपोर्ट साक्ष्य में पेश नहीं हुई है जिसमें अस्थिभंजन बताया गया हो। न ही कोई सी०टी० स्कैन रिपोर्ट साक्ष्य में पेश की गई। जबकि अभियोजन को सी०टी०स्कैन रिपोर्ट से संबंधित चिकित्सक को साक्ष्य में प्रस्तुत किये जाने के लिये अनेकों अवसर आवश्यकता से अधिक भी प्राप्त हुए थे, जैसा कि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है और न्यायालय अभिलेख का न्यायिक नोटिस धारा-57 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत ले सकता है। ऐसे में डॉ० आदित्य श्रीवास्तव के सिर की चोट को गंभीर बताना सुदृढ़ साक्ष्य पर आधारित न होकर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है और सुस्थापित विधि है कि धारा-45 साक्ष्य अधिनियम के तहत चिकित्सक का मत हर परिस्थिति में न्यायालय मानने को बाध्य नहीं है। एक ओर तो डॉ० आदित्य श्रीवास्तव अ०सा०-15 आहत राघवेन्द्र के सिर की चोट जिसे डॉ० आलोक शर्मा साधारण बता रहे हैं, उसे अस्थिभंजन सहित गंभीर स्वरूप की कहते हैं जिसका कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। वहीं दूसरी ओर दिनांक 03.03.13 को अर्थात् घटना के दो दिन बाद ही उसे स्वस्थ मानते हुए डिस्चार्ज भी कराया जाना कहते हैं और यह भी स्वीकार करते हैं कि कोई दस्तावेज उनकी हस्तलिपि में नहीं है तथा गंभीर प्रकृति की चोट होने का उल्लेख उन्होंने नहीं किया। उक्त चिकित्सक न्यूरोसर्जरी विभाग ट्रॉमा सेन्टर जे०ए०एच० हॉस्पिटल ग्वालियर में सहायक प्राध्यापक होकर वरिष्ठ चिकित्सक और न्यूरोलॉजी विभाग में विशेषज्ञ साक्षी है। उसके बावजूद भी वह आहत की चोट को अवैध बताने में असमर्थ है। जैसा कि पैरा-3 में उसका यह कहना रहा है कि यह कहना मुश्किल है कि आहत की चोट की अवधि कितनी पुरानी थी और समयावधि का उल्लेख उन्होंने किसी भी दस्तावेज में नहीं किया। तथा उक्त चिकित्सक ने भी डॉ० आलोकशर्मा की तरह ही राघवेन्द्र की चोटें मोटरसाईकिल से गिरने पर आने की संभावना व्यक्त की है।
28. यह सुस्थापित विधि है कि चोट की प्रकृति प्रारंभिक रूप से चोट का परीक्षण करने वाले चिकित्सक अर्थात् एम०एल०सी० लिखने वाले चिकित्सक द्वारा बताई जानी चाहिए जिस हिसाब से तो डॉ० आलोकशर्मा की रिपोर्ट मुताबिक सिर



की चोट साधारण है। अर्थात् उसे गंभीर और प्राण घातक श्रेणी की नहीं माना जा सकता है। अ0सा0-15 के मुताबिक उनके द्वारा दिनांक 01.03.13 को ही आहत राघवेन्द्र का परीक्षण किया गया था और वह भी दांये कान से खून आने की बात बताते हैं। किन्तु उनके द्वारा भी ई0एन0टी0 विशेषज्ञ को दिखाये जाने की सलाह नहीं दी। सी0टी0स्केन कराये जाने संबंधी कोई रिपोर्ट लैटर भी पेश नहीं हुआ है। ऐसे में अ0सा0-15 की साक्ष्य स्वीकार योग्य नहीं मानी जा सकती है तथा डॉ0 अवतारसिंह अ0सा0-13 के द्वारा मात्र डिस्चार्ज टिकट जारी कराया जाना बताया है। वह भी उन्होंने स्वयं नहीं लिखा, अपने कनिष्ठ चिकित्सक से लिखवाया और कोई डिस्चार्ज टिकट प्रस्तुत नहीं किया। उनके मुताबिक आहत सामान्य स्थिति में और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहा था। अर्थात् डिस्चार्ज करते समय वह सामान्य स्थिति में होना परिलक्षित होता है। इससे भी आहत राघवेन्द्र की सिर की चोट को गंभीर और प्राणघातक नहीं माना जा सकता है।

29. जहाँ तक डॉ0 विवेक जैन अ0सा0-14 का प्रश्न है, जो कि राघवेन्द्र की सिर की चोट को प्राण घातक होने का अभिमत गंभीर चोट बताते हुए देता है, जिसमें वह चार टांके लगे पाना भी कहता है किन्तु डॉ0 आलोकशर्मा के मुताबिक फटा घाव था और उसके द्वारा टांके लगाये जाना बताये गये। न ही जे0ए0एच0 हॉस्पिटल ग्वालियर न्यूरो सर्जरी विभाग में उपचार के दौरान आहत के सिर में कोई टांके लगने की साक्ष्य आई है। टांके कहाँ लगे, क्यों लगे और कब लगे, इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। जबकि डॉ0 विवेक जैन सी0एच0सी0 गोहद और जे0ए0एच0 हॉस्पिटल ग्वालियर की मेडिकल रिपोर्टों का परीक्षण करना भी बताता है। जब उसने आहत राघवेन्द्र को पहली बार दिनांक 04.03.13 को प्राईवेट रीलाईफ हॉस्पिटल ग्वालियर में देखा था। उसका यह भी कहना रहा है कि भर्ती उसने नहीं किया। अस्पताल प्रबंधन ने किया था। किसने भर्ती किया, उसके बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्राईवेट अस्पताल में दिनांक 04.03.13 से 19.03.13 तक डॉ0 विवेक जैन अ0सा0-14 के मुताबिक आहत राघवेन्द्र भर्ती रहा और उसने उसका उपचार किया। किन्तु इस संबंध में स्वयं आहत राघवेन्द्र अ0सा0-4 की साक्ष्य महत्वपूर्ण है जिसने मुख्य परीक्षण के पैरा-1 में अपना इलाज जे0ए0एच0 हॉस्पिटल ग्वालियर में रिफर होने पर एक महीने तक चलना बताया है और पैरा-4 में उसने यह कहा है कि वह ग्वालियर में सरकारी ट्रॉमा सेन्टर में भर्ती रहा था। प्राईवेट अस्पताल में उसने इलाज नहीं कराया। इससे ही डॉ0 विवेक जैन की प्र0पी0-18 से 21 तक की रिपोर्टें और चोटों के संबंध में दिया गया अभिमत संदेह के घेरे में आ जाता है क्योंकि आहत किसी प्राईवेट अस्पताल में इलाज कराने से इन्कार कर रहा है।

30. डॉ0 विवेक जैन अ0सा0-14 जिसके द्वारा प्र0पी0-18 लगायत 21 के प्रोग्रेस नोट उपचार के दौरान लिखे गये, उनके संबंध में उसकी भी यह राय है कि प्राण घातक चोट सी0टी0स्केन के आधार पर उसने मानी थी। जबकि कोई सी0टी0स्केन रिपोर्ट पेश ही नहीं हुई और उसका यह कहना कि कोई भी चोट जो शरीर के अमार्मिक अंग पर हो, और यदि समय पर उपचार न हो, प्राणघातक हो सकती है, यह सामान्य स्थिति है। उक्त चिकित्सक यह भी मानता है कि राघवेन्द्र का समय पर उपचार हुआ। ऐसे में भी उसकी चोट को किसी भी दृष्टि से प्राण घातक और गंभीर नहीं माना जा सकता है। क्योंकि डॉ0 विवेक जैन ने

स्वयं कोई सीटी0स्केन नहीं कराया। जैसा कि वह पैरा-4 में स्वीकार करता है। मौखिक साक्ष्य में चोट की हिस्ट्री आहत से लेना कहता है जिसमें आहत के द्वारा उसे झगड़े में चोट आना बताया गया किन्तु उसने ऐसी स्थिति अपनी किसी रिपोर्ट में अंकित नहीं की जिसका वह यह स्पष्टीकरण देता है कि एम0एल0सी0 करने वाले ही लिखते हैं और डॉ0 आलोकशर्मा तो एम0एल0सी0 कर्ता हैं। उसने अपनी प्र0पी0-1 व 2 की मेडिकल रिपोर्टों में कोई हिस्ट्री नहीं लिखी है।

31. पैरा-4 में ही डॉ0 विवेक जैन अ0सा0-14 यह भी स्वीकार करता है कि उसने प्र0पी0-18 की रिपोर्ट में आहत राघवेन्द्र की चोट प्राण घातक होने का उल्लेख नहीं किया है। उक्त चिकित्सक जो कि न्यूरोलॉजिस्ट है वह भी चोट की अवधि अपनी विशेषज्ञ के तौर पर प्राप्त योग्यता और अधिकार के आधार पर बताने में असमर्थ है और प्र0पी0-18 व 19 में वह आहत के बताये अनुसार तीन दिन पुरानी चोट लिख रहा है। ऐसे में प्राईवेट चिकित्सक के मुताबिक उसकी हितबद्धता झलकती है। वह आहत के सिर के अंदर अनगिनत चोटें पैरा-6 मुताबिक बताता है। लेकिन किस आधार पर पाई, उसके संबंध में सीटी0स्केन रिपोर्ट या एक्सरे रिपोर्ट पेश ही नहीं हुई। उक्त चिकित्सक के मुताबिक उसने आहत को दिनांक 04.03.13, तथा 05 एवं 06 मार्च 2013 को ही भर्ती देखना कहा है। उसके बाद 19 तारीख को उसे देखा और वह प्र0पी0-20 के मुताबिक दिनांक 06.03.13 को आहत की स्थिति सामान्य होना भी कहता है। फिर उसे दिनांक 19.03.13 तक भर्ती क्यों रखा गया, इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। ऐसे में उक्त चिकित्सक प्राईवेट तौर पर उपचार और राय विरोधाभाषों के चलते स्वीकार योग्य नहीं मानी जा सकती हैं। जबकि उक्त चिकित्सक विजिटिंग चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं प्राईवेट रीलाईफ अस्पताल को दे रहा था। इसलिये उसके प्र0पी0-18 व 21 के दस्तावेजों के आधार पर आहत राघवेन्द्र के सिर की चोट को गंभीर और प्राणघातक नहीं माना जा सकता है। जैसीकि उसकी राय है। इसलिये उसकी प्र0पी0-18 से 21 तक की मेडिकल रिपोर्टें संदिग्ध हो जाती हैं।

32. प्रकरण में डॉ0 विवेक जैन और डॉ0 आदित्य श्रीवास्तव अ0सा0-14 एवं 15 अपनी अभिसाक्ष्य में सीटी0स्केन रिपोर्ट को आधार बताते हैं जो साक्ष्य में पेश नहीं हैं। उनके द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि सीटी0स्केन कहाँ कराया गया, किसके द्वारा सीटी0स्केन किया गया, सीटी0स्केन की रिपोर्ट किस चिकित्सक द्वारा तैयार की गई। इस बिन्दु पर माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **सुनील कुमार पाण्डे एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 2007 (3) एम0पी0एच0टी0 पेज-188** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मात्र चिकित्सक की राय के आधार पर बिना एक्सरे प्लेट प्रस्तुत किये और उसे प्रमाणित किये यह नहीं ठहराया जा सकता है कि आहत के शरीर में कोई अस्थिभंगन होकर गंभीर चोट थी। जैसा कि हस्तगत मामले में भी कोई सीटी0स्केन रिपोर्ट या उसकी एक्सरे प्लेट पेश नहीं की गई है। जबकि लोहे के सरिया का उपयोग सिर में चोट पहुंचाने में बताया गया है। ऐसी स्थिति में चिकित्सकों की साक्ष्य और व्यक्त राय के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्कों में विधिक बल होना परिलक्षित होता है। क्योंकि चिकित्सकों की साक्ष्य में जो बिन्दु उत्पन्न हुए हैं, उनसे उनकी राय

स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाई गई है। ऐसे में अ0सा0-13 लगायत 15 की साक्ष्य को स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है और राघवेन्द्र की प्र0पी0-2 में बताई गई चोटें साधारण स्वरूप की ही सख्त व मौथरी वस्तु की होना स्थापित होती हैं और चिकित्सीय साक्ष्य से धारा-307 या 325 भा.दं.वि. स्थापित नहीं होती हैं। इसलिये प्रत्यक्ष साक्ष्य और परिस्थितियों के आधार पर यह मूल्यांकित करना होगा कि क्या आहत धर्मेन्द्र और राघवेन्द्र को कारित चोटें आरोपीगण के द्वारा जान से मारने की नीयत से और सामान्य आशय निर्मित करते हुए उसके अग्रसरण में पहुंचाई गई अथवा नहीं।

33. इस संबंध में मौखिक साक्ष्य को देखा जाये तो स्वयं घटना के आहत व रिपोर्टकर्ता धर्मेन्द्र तोमर अ0सा0-2 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में मूलतः यह बताया गया है कि वह अपने छोटे भाई राघवेन्द्र के साथ घटना दिनांक को सुबह 10.00 बजे गांव से ट्रैक्टर से गौहद आया था। पहले मण्डी गये मण्डी में सरसों बेची। ट्रॉली वहीं खड़ी करके फिर ट्रैक्टर से बाजार गये तब साढ़े तीन बजे भारत गैस एजेन्सी पर खाली सिलैण्डर लेकर भरवाने के लिये गये थे क्योंकि एक दिन पहले की बुकिंग थी। वहाँ पर राजकुमार काम कर रहा था। उसने एक घण्टे बाद आने की कही थी कि अभी मैं काम कर रहा हूँ। फिर वह चले गये और एक घण्टे बाद जब दुबारा एजेन्सी पर पहुंचे तो उन्हें देखते ही गाली-गलौच करते हुए झगड़ा किया और मारपीट की जिसमें हॉकी, सरिया आदि से मारपीट करना बताया है। और उसने पैरा-4 में यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण से उनका पूर्व का कोई झगड़ा नहीं था न ही रंजिश थी और वह एजेन्सी पर आते जाते रहने से आरोपीगण को जानता है। पैरा-5 में उसने यह बताया है कि उसे और उसके भाई को आरोपीगण द्वारा जो भी चोटें पहुंचाई गईं वे सभी जान से मारने की नीयत से पहुंचाई गईं। ऐसा उसने पुलिस को भी बताया था। किन्तु उसे यह जानकारी नहीं है कि गैस एजेन्सी का संचालक कौन है, मालिक कौन है। झगड़े का कारण वह यह बताता है कि जब दुबारा एजेन्सी पर सिलैण्डर लेने गये तो आरोपी राजकुमार ने कहा कि रोज रोज आ जाते हैं जान से मार दो। जबकि ए0आई0आर0 प्र0पी0-3 में रोज रोज के वजाय बार बार आने की बात कही गई है।

34. अ0सा0-2 के द्वारा घटना एजेन्सी के ऑफिस से 20-25 फीट की दूरी पर सामने रोड की बताई है। और सड़क पर अत्यधिक वाहनों के आना जाना भी उसने पैरा-5 में बताया है। उसका यह भी कहना रहा है कि जिस किताब पर वह सिलैण्डर भरवाने के लिये गया था वह उसके भाई रविन्द्र की थी। और रविन्द्र के द्वारा अट्‌टाईस फरवरी को बुकिंग कराई गई थी उस समय स्लिप नहीं मिली थी क्योंकि किताब पर ऐन्ट्री होती थी। पैरा-10 में उसका यह भी कहना है कि गैस की किताब और सिलैण्डर एजेन्सी पर उसने दे दिये थे। पैरा-11 में उसका कहना है कि जब पहली बार एजेन्सी पर पहुंचे थे तब आरोपीगण एजेन्सी के ऑफिस के बाहर मिले थे और जब दुबारा साढ़े चार बजे पहुंचे तो एजेन्सी के ऑफिस के अंदर थे। दोनों ही बार आरोपीगण के पास कोई हथियार नहीं थे।

35. इस संबंध में दूसरे आहत राघवेन्द्र अ0सा0-4 के द्वारा भी अ0सा0-2 की तरह ही साक्ष्य दी गई है उसके द्वारा पैरा-4 में यह भी बताया गया है कि झगड़ा एजेन्सी पर नहीं हुआ था। पैरा-5 में वह यह महत्वपूर्ण अभिसाक्ष्य देता है कि



उसे केवल सरिया की एक चोट आई थी और शरीर में कोई चोट नहीं आई। धर्मेन्द्र को चार चोटें थीं अर्थात् स्वयं आहत राघवेन्द्र कान की चोट का समर्थन नहीं कर रहा है। सरिया की चोट एम0एल0सी0 करने वाले चिकित्सक द्वारा साधारण बताई गई हैं। हेतुक और आशय के संबंध में इस साक्षी ने भी अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा है कि उसे भी यह मालूम नहीं है कि गैस एजेन्सी का संचालक कौन है और कौन कहाँ का रहने वाला है। पैरा-7 में उसने भी यह स्वीकार किया है कि जब पहली बार एजेन्सी पर गये तो आरोपीगण में से कुछ लोग एजेन्सी के अंदर बैठे थे। कुछ सड़क के उस पार खाली प्लॉट पर सिलैण्डर बांट रहे थे। सिलैण्डर बांटने वाले दो तीन आरोपी थे। फिर उसने चारों आरोपीगण में से राजकुमार का ऑफिस में शेष का सिलैण्डर बांटने वाले स्थान पर होना बताया है और यह भी स्वीकार किया है कि जब राजवीर, संतोष और छोटेलाल सिलैण्डर बांट रहे थे तब उनके पास सरिया, हॉकी डण्डा आदि नहीं थे लेकिन उसने अपनी अभिसाक्ष्य में विकास करते हुए यह बताया है कि तीनों आरोपियों को हथियार राजकुमार ने अंदर से जाकर सौंपे थे। यह बात उसने पुलिस को कथन देते समय नहीं लिखाई।

36. इस तरह से उक्त दोनों आहतों के अभिसाक्ष्य में यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है कि आरोपीगण के पास हथियार पहले से नहीं थे और न ही उनकी कोई पुरानी रंजिश या बुराई है। ऐसे में घटना कारित करने के हेतुक और आशय के संबंध में अभिलेख पर आहतगण की साक्ष्य नहीं है। आहतगण के मुताबिक दुबारा एजेन्सी पर पहुंचने पर बिना कुछ कारण के आरोपीगण के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाना बताया गया है। अर्थात् वे अचानक प्रकोपन का कारण दर्शाते हैं।

37. बचाव पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये तर्कों में यह बताया गया है कि आरोपीगण दुकानदान और दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी हैं जो नियमानुसार गैस सिलैण्डरों का वितरण कर रहे थे और आरोपीगण के द्वारा आहतगण की मारपीट किये जाने का कोई भी कारण उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसे में प्रकरण में हेतुक और आशय अनुपस्थित है। और नियमानुसार गैस मांगने पर आरोपीगण आहतगण पर हमला क्यों करेंगे, इसका कोई भी स्पष्टीकरण अभियोजन के पास नहीं है। इसलिये आरोपीगण के झगडा करने की कहानी ही झूठी है। ऐसा भी कोई कारण आहतगण द्वारा नहीं बताया गया है जिससे आरोपीगण नाराज होकर उन पर हमला करते। एफ0आई0आर0 में बार बार आने का जो उल्लेख किया गया है वह भी सत्यता के निकट नहीं हैं क्योंकि कथानक मुताबिक ही राजकुमार द्वारा एक घण्टे बाद आने की कहना बताया गया है। इसलिये भी घटना संदिग्ध है और जिस व्यक्ति की गैस की किताब पर से सिलैण्डर लेने जाना बताया गया है वह आहतगण का चचेरा भाई रवीन्द्रसिंह अभियोजन की ओर से तो न तो साक्षी बनाया गया है न ही उसे परीक्षित किया गया है। न ही उसकी गैस की किताब या सिलैण्डर की जप्ती हुई है बल्कि बचाव पक्ष का यह तर्क है कि दोनों आहतों को शरीर के दाहिनी तरफ चोटें थीं और वह मोटरसाईकिल से स्लिप होकर दुर्घटनावश गिर जाने से उत्पन्न हुई होंगी और वह गैस एजेन्सी से मुफ्त में अवैध रूपसे गैस सिलैण्डर लेना चाहते थे जिसमें असफल होने के कारण झूठी कहानी बनाकर रिपोर्ट कर दी गई है।



जबकि अभियोजन का यह कहना है कि हेतुक या आशय मौके पर ही उत्पन्न हो सकता है।

38. हेतुक और आशय के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **सुशीलाबाई विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 2015 वोल्यूम-3 आई0एल0आर0 एम0पी0सीरीज पेज-2196** में यह मार्गदर्शित किया गया है कि हत्या के प्रयत्न के मामले में अपराध का आशय या ज्ञान होना चाहिए और दूसरे आशय को पूरा करने के प्रयोजन हेतु कृत्य किया गया होना चाहिए। हस्तगत मामले में अभियोजन कथानक मुताबिक आशय पूर्वक घटना कारित की जाना बताई गई है क्योंकि एफ0आई0आर0 और आहतगण के कथनों में जान से मारने की नीयत से चोटें पहुंचाई जाना कहा गया है। जबकि जो साक्ष्य उपरांत स्थिति परिलक्षित हुई है उसमें आरोपीगण और आहतगण की पूर्व से कोई रंजिश या लड़ाई नहीं थी। केवल ज्यादा से ज्यादा ग्राहक और दुकानदार के रूप में ही परिचय माना जा सकता है। हालांकि आहतगण को यह जानकारी तक नहीं है कि कौन आरोपी कहाँ का रहने वाला है। एजेन्सी का संचालक कौन है और वे केवल दो बार ही एजेन्सी पर जाना बताते हैं। आते जाते एजेन्सी के कर्मचारियों को जानने की बात उनके द्वारा अवश्य कही गई है। दूसरी ओर घटना दिनांक को एफ0आई0आर0 मुताबिक दोपहर साढ़े तीन बजे और एक घण्टे बाद पुनः साढ़े चार बजे जब आहतगण एजेन्सी पर गये। दोनों ही बार उन्हें आरोपीगण हथियारों से सुसज्जित नहीं मिले बल्कि नियमानुसार गैस वितरण का कार्य करते मिले। ऐसे में उनका अपराध करने का कोई हेतुक होना स्थापित नहीं होता है। न ही आशय स्थापित होता है।

39. प्र0पी0-1 व 2 की मेडिकल रिपोर्ट अनुसार कोई चोट ऐसी नहीं है जो प्राण घातक या गंभीर मानी जावे। क्योंकि उसके संबंध में चिकित्सीय दस्तावेजी साक्ष्य का अभाव है। इसलिये ज्ञान का घटक भी स्थापित नहीं होता है ऐसे में अ0सा0-2 एवं 4 आहतगण का यह कहना कि जान से मारने की नीयत से चोटें पहुंचाई गईं, विश्वसनीय नहीं है। जिनका समर्थन बताये गये चक्षुदर्शी साक्षी दीपू अ0सा0-5, गिराज अ0सा0-6 और गब्बर अ0सा0-10 भी अवश्य कर रहे हैं। चक्षुदर्शी साक्षियों की विश्वसनीयता अभी देखी जाना शेष है क्योंकि तीनों ही चक्षुदर्शी साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में पूरी घटना का वृत्तांत इस रूप में देते हैं कि उन्होंने प्रारंभ से ही पूरी घटना देखी हो जबकि दोनों ही आहतगण की साक्ष्य में यह स्वीकार किया गया है कि तीनों ही आहत उस समय आये जब झगडा हो चुका था और उन्हें चोटें आ चुकी थीं। जैसा कि धर्मेन्द्र अ0सा0-12 ने पैरा-12 में स्वीकार किया है और राघवेन्द्र अ0सा0-4 न पैरा-7 में स्वीकार किया है क्योंकि वह यह कहता है कि उन्हें चोट आने के बाद दीपू, गब्बर, गिराज आये और तीनों ने आकर उससे पूछा कि कैसे झगडा हुआ। किसने तुम्हें मारा तब उसने पूरा घटनाक्रम बताया। इससे अ0सा0-5, 6 एवं 10 का घटनास्थल पर आहतगण के मुताबिक बाद में आना प्रकट होता है जबकि तीनों ही चक्षुदर्शी साक्षी घटना शुरू होने के पहले से ही अपनी उपस्थिति घटनास्थल पर दर्शा रहे हैं और उक्त तीनों ही चक्षुदर्शी साक्षियों के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में यह भी स्वीकार किया गया है कि वह आहतगण के साथ न तो थाने गये न ही अस्पताल गये बल्कि बाद में पहुंचे। जबकि दीपू अ0सा0-5 आहतगण का सगा भतीजा,

गिराज अ0सा0-6 चचेरा भाई और गब्बर अ0सा0-10 उनका मिलने वाला है क्योंकि गब्बर आहतगण को उस समय से जानना बताता है जब आहतगण छोटे छोटे थे। साक्षी गब्बर से जान पहचान मिलना जुलना आहत राघवेन्द्र क्यों छुपा रहा है इसका वह कारण नहीं बताता है। ऐसे में तीनों बताये गये चक्षुदर्शी साक्षियों की हितबद्धता झलकती है।

40. हालांकि सुस्थापित विधिक सिद्धान्त है कि किसी भी साक्षी पर हितबद्ध साक्षी होने या रिश्ते का साक्षी होने के आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है और उनकी साक्ष्य का मूल्यांकन गुण-दोषों पर करना होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **भागलाल लोधी विरुद्ध स्टेट ऑफ यू0पी0 ए 0आई0आर0 2011 एस0सी0 पेज-2292** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है किन्तु जिस तरह से चक्षुदर्शी साक्षियों की उपस्थिति के बारे में अभिलेख पर गंभीर विरोधाभाषों से परिपूर्ण साक्ष्य है उससे उनकी घटनास्थल पर उपस्थिति संदिग्ध हो जाती है क्योंकि दीपू अ0सा0-5 के मुताबिक घटना दिनांक को वह सुबह दस बजे ही अपने गांव से पैदल चला था जबकि दोनों आहत धर्मेन्द्र व राघवेन्द्र भी सुबह दस बजे ही अपने गांव से ट्रैक्टर से गोहद के लिये आना बताते हैं यदि वास्तव में दीपू दस बजे ही अपने गांव से आता तो फिर ट्रैक्टर पर बैठकर आहतगण के साथ आ सकता था। ऐसे में उसकी उपस्थिति वास्तविक न होकर निर्मित की गई साक्ष्य (**created evidence**) दर्शित होती है। क्योंकि गांव से गोहद की दूरी 16-17 किलोमीटर है और आज के जमाने में कोई भी युवक इतनी लंबी दूरी पैदल नहीं चलता है। दीपू सोलह वर्षीय युवक है और शिक्षा अध्ययन करने वाला साक्षी है। उसके बारे में 16-17 किलोमीटर पैदल चलकर आने की बात को स्वाभाविक नहीं माना जा सकता है। जबकि वह गांव से अकेला ही आना बताता है। थोड़ी देर के लिये यदि उसकी बात को मान भी लिया जावे कि वह वास्तव में सुबह 10.00 बजे गांव से पैदल चलकर गोहद आया तो वह गोहद में दिन में 12-01 बजे आ जाना बताता है। जेसाकि पैरा-2 में उसने कहा है और पैरा-3 में यह भी स्वीकार किया है कि गैस एजेन्सी पर उसे कोई काम नहीं था वह तो पत्थर का भाव पूछने आया था। पत्थर उसने नहीं खरीदा। केवल पत्थर के भाव पूछने के लिये किसी युवक का 16-17 किलोमीटर पैदल चलकर आना स्वाभाविक रूप से विश्वास योग्य नहीं है। साक्षी दीपू की और साक्ष्य को देखा जाये तो वह पत्थर का भाव पूछने के लिये अपने चाचा के साथ आना कहता है। किन्तु उसे अपने चाचा का नाम ही मालूम नहीं है जिसके साथ वह आया। ऐसे साक्षी पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। ऐसे में आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि वास्तव में घटना नहीं हुई और साक्ष्य को संकलित नहीं किया गया बल्कि निर्मित किया गया अर्थात् गढ़ा गया, ऐसी स्थिति ही अ0सा0-5 के अभिसाक्ष्य को देखते हुए निर्मित हो रही है।

41. गिराज अ0सा0-6 के मुताबिक उसकी घटना दिनांक को गोहद आने की स्थिति के बारे में पैरा-3 में स्थिति स्पष्ट हुई है जिसमें वह यह कहता है कि वह पत्थर की ढाल के पास वैसे ही सहज में वगैर काम के खड़ा था और उसके पास ही गब्बर और दीपू भी खड़े थे। वह दीपू के साथ नहीं आया था। गैस एजेन्सी से पचास कदम की दूरी पर उसने खड़ा होना बताया है। जबकि दीपू

अ0सा0-5 गैसे एजेन्सी से पत्थर के फड़ की दूरी डेढ़ सौ से दो सौ कदम की बताता है। आहतगण के मुताबिक घटना के समय बाहर राजकुमार को छोड़कर शेष लोग सिलैण्डर बांट रहे थे। जिससे गिराज अ0सा0-6 पैरा-3 में इन्कार करते हुए यह कहता है कि उस समय सिलैण्डर नहीं बांट रहे थे। आरोपीगण ऑफिस के अंदर बैठे थे। और पैरा-4 में यह भी कहता है कि उसने आरोपीगण को भागते हुए नहीं देखा। न ही आहतगण को वह थाने या अस्पताल साथ में लेकर गया। बल्कि उसके मुताबिक दीपू और गब्बर बाजार तरफ चले गये थे। जबकि उक्त साक्षी भी आहतगण का चचेरा भाई है और बीच बचाव करना भी कहता है। ऐसा साक्षी जो कि अपने निकट संबंधी को गंभीर रूप से घायल होने पर भी उनकी मदद को साथ नहीं जाता है, अतः ऐसे में उक्त साक्षी भी निर्मित किया हुआ परिलक्षित होता है, वास्तविक नहीं है क्योंकि उसका घटनास्थल के आसपास उपस्थित होने का कोई भी कारण नहीं था।

42. गब्बर अ0सा0-10 की स्थिति देखी जाये तो वह भी जान से मारने की नीयत से आहतगण को चोट आरोपीगण द्वारा पहुंचाई जाना कहता है किन्तु वह भी आहतगण के साथ थाने नहीं गया, बाद में जाना कहता है। उसके द्वारा अपनी उपस्थिति का पैरा-4 में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि घटना दिनांक को वह गैस एजेन्सी पर किताब बनवाने के लिये पूछताछ करने के लिये गया था और साढ़े चार बजे पहुंचा था। किन्तु इतनी महत्वपूर्ण बात उसके द्वारा पुलिस को नहीं बताई गई और वह भी राघवेन्द्र को सिर के अलावा और कोई चोट देखने से इन्कार करता है। उसके मुताबिक आरोपीगण हॉकी, लाठी, सरिया अपने साथ लेकर भाग गये थे, जैसा कि पैरा-5 में कहा है। आरोपीगण को पकड़ने की उसने भी कोशिश नहीं की जैसा कि पैरा-6 में वह बताता है। यदि तीनों चक्षुदर्शी साक्षी जो कि आहतगण के निकट संबंधी और हितबद्ध हैं, वास्तव में मौके पर होते और कोई बीच बचाव जैसी स्थिति होती तो वे आरोपीगण को पकड़ने की कोशिश करते। या आहतगण को थाने या अस्पताल ले जाते जबकि ऐसा नहीं किया गया। इससे तीनों ही आहतगण की घटनास्थल पर मौजूदगी होना ही संदिग्ध हो जाती है क्योंकि गंभीर स्वरूप के विरोधाभास उनके अभिसाक्ष्य में घटनास्थल को लेकर, चोटों को लेकर, आरोपीगण की स्थिति को लेकर भी आये हैं और जिस तरह का आचरण आहतगण ने प्रकट किया है वह भी स्वाभाविक रूप से संभव नहीं है कि अपने परिवार के किसी व्यक्ति के साथ गंभीर घटना घट जाये और वह मौजूद होते हुए भी उनके साथ न रहें और बाजार या अन्य कहीं चले जायें। इससे तीनों ही चक्षुदर्शी साक्षियों को बनावटी साक्षी होने का बचाव पक्ष की ओर से जो तर्क किया गया है उसमें अधिक बल उत्पन्न तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर परिलक्षित होता है। इसलिये घटना कारित करने का आशय, हेतुक और उसके अग्रसरण में कृत्य किये जाने के आवश्यक अवयव प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य से कतई स्थापित नहीं होते हैं और इस बिन्दु पर अ0सा0-2, अ0सा0-4 लगायत 6 की साक्ष्य कतई विश्वसनीय नहीं रह जाती है जो कि घटना के सर्वाधिक महत्व के साक्षी हैं।

43. चोटों की स्थिति देखी जाये तो एफ0आई0आर0 मुताबिक राघवेन्द्र को केवल सिर के दांयी तरफ एक चोट बताई गई। जिसे राजवीर द्वारा सरिया से पहुंचाना कहा गया। धर्मेन्द्र को दांये पैर के घुटने में संतोष के द्वारा हॉकी से



चोट पहुंचाई जाना बताई गई जिससे उसे खून निकला। दाहिने हाथ के पंजा पर राजकुमार के द्वारा हॉकी मारना बताया गया। छोटेलाल के द्वारा पीठ में सरिया मारना बताया गया और उसके संबंध में चिकित्सीय साक्ष्य देखी जाये तो धर्मेन्द्र की पीठ में कोई चोट नहीं पाई गई न ही दाहिने हाथ के पंजा में कोई चोट पाई गई है। दांये पैर के घुटने में प्र०पी०-1 मुताबिक जो चोटें पाई गई हैं वह रगड के रूप में थीं अर्थात् उससे खून नहीं निकला। जबकि धर्मेन्द्र के दांये घुटने की चोट से खून निकलने की बात कही गई। आहतगण की इस बिन्दु पर साक्ष्य देखी जाये तो धर्मेन्द्र अ०सा०-2, राजवीर के द्वारा राघवेन्द्र के सिर में सरिया मारना, संतोष के द्वारा स्वयं उसे दांये घुटने में हॉकी मारना, दांये हाथ के पंजा में राजकुमार के द्वारा हॉकी मारना और छोटेलाल के द्वारा पीठ में सरिया मारना बताया गया है। लेकिन पीठ व हाथ के पंजे में कोई चोट नहीं पाई गई। जबकि धर्मेन्द्र के मुताबिक राजकुमार ने जो हॉकी मारी थी वह उसने हाथ से बचाई थी जिससे दाहिने हाथ के पंजे में मूंदी चोट उसने बताई है। किसी के प्रहार करने पर यदि हाथ से बचाव किया जाये तो हाथ की हथेली में ही चोट आयेगी जो नहीं पाई गई है और दाहिने हाथ के पीछे की तरफ प्र०पी०-1 मुताबिक चोट क्रमांक-1 जो पाई गई है वह भी रगड के निशान के रूप में है। धर्मेन्द्र की साक्ष्य में यह भी आया है कि वह मोटरसाईकिल चलाना जानता है। दोनों आहतों की चोट शरीर के दांयी तरफ ही है।

44. बचाव पक्ष का यह आधार है कि मोटरसाईकिल स्लिप हो जाने से उन्हें चोटें लगीं जिसके संबंध में बचाव पक्ष की ओर से बंटी ब०सा०-1, साजिद अली ब०सा०-2 और श्याम ब०सा०-3 के रूप में परीक्षित कराये गये हैं जो बचाव पक्ष का समर्थन करते हैं किन्तु बचाव साक्षियों की आरोपीगण से हितबद्धता होने की साक्ष्य भी उनकी प्रतिपरीक्षा में आई है क्योंकि बंटी एजेन्सी का ही कर्मचारी है और श्याम भी एजेन्सी का ही हॉकर है। साहिद अली पेशे से ड्रायवर है। आरोपीगण से उसकी मित्रता है और अच्छे संबंध हैं। बचाव पक्ष पर किसी तथ्य को प्रमाणित करने का भार नहीं होता है। हालांकि बचाव पक्ष के लिये आधार को आहतगण द्वारा सिर से अस्वीकार किया गया है और उन्होंने ट्रैक्टर से आने की बात बताई है, मोटरसाईकिल से आने से ही इन्कार किया है। किन्तु धर्मेन्द्र अ०सा०-2 पैरा-9 में थाने से मेडिकल के लिये मोटरसाईकिल से ही जाना स्वीकार करता है लेकिन उसके अभिसाक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं होता है कि मोटरसाईकिल किसकी थी जिससे वह मेडिकल को गये। एफ०आई०आर० में घटना दिनांक को ट्रैक्टर से गोहद आने की बात का उल्लेख नहीं है। जैसा कि साक्ष्य में अ०सा०-2 व 4 बताते हैं और उन्होंने मोटरसाईकिल से स्लिप होते हुए बंटी, शाहिद, नागर और श्याम के द्वारा देखे जाने से अवश्य इन्कार किया है किन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि घटना कारित करने वाले चार व्यक्ति बताये गये हैं, चारों पर हथियार बताये गये हैं। चारों के द्वारा सक्रिय रूप से घटना में भाग लिया जाना कहा है किन्तु आहतगण को जो चोटें आई हैं वह तो उतनी संख्या में हैं कि चारों आरोपीगण के द्वारा पहुंचाई जा सके। न ही बार बार प्रहार करना बताया गया है उससे भी हेतुक और आशय खण्डित होता है। पूर्व का कोई विवाद न होने से भी आशय और हेतुक का तथ्य स्थापित नहीं होता है इसलिये जो मौखिक रूप से जान से मारने की नीयत से चोटें पहुंचाई जाने की बात कही



जा रही है वह कतई विश्वसनीय नहीं है।

45. यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि घटना की जब धर्मेन्द्र के द्वारा थाना गोहद पर जाकर रिपोर्ट लिखाई गई जिसे प्र0आर0 रमेशसिंह अ0सा0-3 के द्वारा लेखबद्ध किया गया। वह उसने धारा-323, 307/34 और 294 भा.दं.वि.के अंतर्गत पंजीबद्ध की। जबकि उस समय जो मुलाहिजा फॉर्म मेडिकल के लिये लिखे गये उनमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया कि किसी तरह की कोई गंभीर चोट दिखाई पड़ रही हो। ऐसे में वगैर मेडिकल के मौखिक रूप से जान से मारने की नीयत के आधार पर ही एफ0आई0आर0 दर्ज करना प्रकट होता है और हेतुक व आशय अनुपस्थित है। इससे एफ0आई0आर0 प्र0पी0-3 ही संदिग्ध हो जाती है।
46. अ0सा0-3 का पैरा-2 में यह कहना कि धारा-324, 325 एवं 307 जैसे अपराधों की एफ0आई0आर0 मेडिकल के बाद दर्ज की जाती है फिर उसने स्वतः परिस्थितियाँ देखकर दर्ज किये जाने की बात कहते हुए प्र0पी0-3 की एफ0आई0आर0 धारा-307 भा.दं.वि. में इसलिये दर्ज कर लेना कहा है कि राघवेन्द्र की चोट प्राण घातक हो सकती थीं। यह कयास उक्त एफ0आई0आर0 लेखक ने किस आधार पर लगाया, इसके बारे में उसने कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इससे भी बचाव पक्ष का यह तर्क कि साक्ष्य निर्मित की गई, को बल मिलता है। अ0सा0-3 का पैरा-2 में यह कहना रहा है कि राघवेन्द्र के सिर में घाव गहरा होने से उसे प्राण घातक होने की शंका थी इसलिये उसने एफ0आई0आर0 धारा-307 भा.दं.वि.की दर्ज की। यह बात तथ्यों के प्रतिकूल है क्योंकि एफ0आई0आर0 में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है बल्कि एफ0आई0आर0 में तो रिपोर्टकर्ता के द्वारा जान से मारने की नीयत से मारपीट किये जाने के आधार पर धारा-307 भा.दं.वि.का मामला दर्ज होना बताया गया है। ऐसे में एफ0आई0आर0 लेखक की अभिसाक्ष्य भी स्वीकार योग्य नहीं रह जाती है बल्कि वह अपनी गलती को छुपाने के उद्देश्य से पैरा-2 में तरह तरह के कारण गिना रहा है। यदि वास्तव में एफ0आई0आर0 लेखक के कहे अनुसार आहतगण की स्थिति होती तो मुलाहिजा फॉर्म भरते समय वह राघवेन्द्र के सिर की चोट के संबंध में यह भी उल्लेख करता कि चोट की प्रकृति भी बताई जावे। उसके मुताबिक ही कान में कोई चोट नहीं देखी। कान में खून निकलता हुआ देखे जाने की कोई साक्ष्य नहीं आई है।
47. आहत राघवेन्द्र अ0सा0-4 के द्वारा तो अपने अभिसाक्ष्य में मुख्य परीक्षण में ही छोटेलाल के द्वारा मारना नहीं बताया है। उसने राजवीर द्वारा उसे सिर में सरिया मारना, धर्मेन्द्र को संतोष व राजकुमार के द्वारा हॉकी मारना बताई गई है। लाठी का उपयोग घटना में होना नहीं बताया गया है। जबकि विवेचना में संतोष से लाठी प्र0पी0-8 मुताबिक जप्त करना बताई गई है। उसकी क्या आवश्यकता थी इसके बारे में घटना के विवेचक उपनिरीक्षक शिवकुमार शर्मा अ0सा0-11 का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं आया है।
48. घटनास्थल की स्थिति को देखा जाये तो प्र0पी0-3 की एफ0आई0आर0 और प्र0पी0-4 के नक्शामौका मुताबिक घटनास्थल गैस एजेंसी के सामने सड़क के दूसरी तरफ पत्थर के फड से नजदीक सड़क किनारे का बताया गया है। इस संबंध में आहतगण की साक्ष्य को देखा जाये तो धर्मेन्द्र अ0सा0-2 ने घटना

गैस एजेन्सी के सामने की बताई है। खाली प्लॉट या एजेन्सी के दरवाजे की होने से इन्कार करते हुए एजेन्सी से घटनास्थल की दूरी पचास मीटर के करीब सड़क के दूसरी तरफ बताई। जहाँ आम सड़क होने से हमेशा आवागमन रहता है और राघवेन्द्र अ0सा0-4 ने भी पैरा-4 में झगडा एजेन्सी पर होने से इन्कार किया है। उसने भी पैरा-7 में आम रोड की ही घटना बताई है। जबकि दीपू अ0सा0-5 के पैरा-3 मुताबिक धर्मेन्द्र की गैस एजेन्सी वालों से बातचीत एजेन्सी पर ही हो रही थी और सरिया, हॉकी, डण्डा एजेन्सी में रखे होना, वहीं से उठाकर लाया जाना पैरा-4 में वह कहता है। झगडा उसने सड़क के दूसरी तरफ बताते हुए उसे आम रास्ता और आवागमन होना, 30-35 लोगों की भूमि भी बताई। गिराज अ0सा0-6 के पैरा-3 मुताबिक वार्तालाप आरोपीगण से एजेन्सी के बाहर हुआ था। झगडा सड़क किनारे दूसरी तरफ हुआ था। ऐसा स्पष्ट रूप से उसने नहीं बताया है।

49. गब्बर अ0सा0-10 के पैरा-4 मुताबिक झगडा पहले गैस एजेन्सी के भीतर हुआ था और भीतर से ही झगडा होते हुए सड़क पर आ गया था। हॉकी, लाठी सरिया से एजेन्सी के अंदर से ही आरोपीगण मारपीट करते हुए आ रहे थे जिससे अ0सा0-6 व 10 की साक्ष्य घटनास्थल के बारे में आहतगण और दीपू से भिन्न है। इससे भी अ0सा0-6 व 10 मौके के वास्तविक साक्षी होना खण्डित होते हैं जो कि दीपू को भी अपने साथ ही बताते हैं। ऐसे में प्रकरण में जो चक्षुदर्शी साक्षी बताये गये हैं वे वास्तव में चक्षुदर्शी साक्षी की हैसियत रखते ही नहीं हैं।

50. घटनास्थल का नक्शामौका घटना दिनांक को ही शाम 5.50 बजे आहत धर्मेन्द्र की निशादेही पर बनाया गया जिसके द्वारा दोपहर 4.50 बजे एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई। फिर वह मेडिकल को गया। उसके बाद धर्मेन्द्र अ0सा0-2 के मुताबिक वह अस्पताल से थाने आये। फिर दीवान जी के साथ एजेन्सी पर गया और उसने घटनास्थल बताया। प्र0पी0-1 व 2 की एम0एल0सी0 के मुताबिक शाम 5.25 बजे तक मेडिकल हुआ। उसके बाद थाने आना फिर दीवानजी के साथ मौके पर जाना बताया गया है जिससे नक्शामौका बनाये जाने की समयावधि मेल नहीं खाती है। दूसरी ओर प्र0पी0-4 का नक्शामौका देखा जाये तो घटना के विवेचक उपनिरीक्षक शिवकुमार शर्मा अ0सा0-11 के द्वारा धर्मेन्द्र की निशादेही पर बनाना बताया गया है। अ0सा0-11 के मुताबिक उसे धर्मेन्द्र घटनास्थल पर ही मिला था। जैसा कि विवेचक के पैरा-4 में स्पष्ट रूप से आया है जबकि धर्मेन्द्र किसी दीवानजी के साथ मौके पर जाना कहता है। उसका ऐसा कहना नहीं है कि वहाँ दरोगा जी मिले हों और उन्होंने नक्शा बनाया हो। यदि थोड़ी देर के लिये इस विरोधाभास को अनदेखा भी किया जाये तो घटनास्थल का नक्शामौका तैयार करते समय धर्मेन्द्र अ0सा0-2 के मुताबिक घटनास्थल के आसपास और खाली प्लॉट को बारीकी से देखा गया था जैसा कि उसके पैरा-13 में आया है। प्लॉट के बारे में अ0सा0-2 का पैरा-13 में यह भी कहना है कि प्लॉट खाली है, कोई भी आ जा सकता है। उसकी कोई बाउण्ड्री नहीं थी और नक्शामौका बनाते समय पुलिस को उस प्लॉट में हॉकी, सरिया, डण्डे नहीं मिले जबकि विवेचक अ0सा0-11 के द्वारा पैरा-4 में यह कहा है कि वह विवेचना शाम पांच बजे प्राप्त होने पर तुरंत घटनास्थल पर आरक्षक अनिल को साथ लेकर शासकीय वाहन से गया था। रोजनामचासान्हा में उसकी प्रविष्टि की थी। जो रोजनामचासान्हा पेश नहीं है। नक्शामौका धर्मेन्द्र की निशादेही पर

बनाना वह कहता है। लेकिन नक्शामौका में उसने आरोपीगण, आहतगण या चक्षुदर्शी साक्षियों की स्थिति स्पष्ट नहीं की है जिसकी वह आवश्यकता न होना कहता है। पैरा-5 में उसने नक्शामौका बनाते समय एजेन्सी के बगल में पड़े खाली प्लॉट को भी देखना कहा है जिसमें कचरा, डण्डे लाठी पड़े थे। ऐसा नक्शा में उल्लेख न करना स्वीकार किया है। अ0सा0-2 के मुताबिक कोई वस्तुएं प्लॉट में नहीं पाई गई और पैरा-9 में विवेचक ने प्लॉट पर बाउण्ड्री होना कहा है जिससे धर्मेन्द्र अ0सा0-2 इन्कार करता है। नक्शामौका में प्लॉट में कोई बाउण्ड्री नहीं दर्शाई गई है। इससे बचाव पक्ष का यह तर्क बल रखता है कि वास्तव में घटनास्थल पर जाकर नक्शा नहीं बनाया था बल्कि थाने पर बैठकर तैयार कर लिया जिसे बल मिलता है क्योंकि प्लॉट में कोई बाउण्ड्री होने के प्रमाण नहीं हैं जो कि विवेचक कहता है। ऐसे में घटनास्थल के बारे में भी धर्मेन्द्र अ0सा0-2 और विवेचक अ0सा0-11 के अभिसाक्ष्य में गंभीर विरोधाभाष की स्थिति होने से उसकी कार्यवाही के बारे में भी संदेह उत्पन्न होता है।

51. एफ0आई0आर0 प्र0पी0-3 में आरोपीगण के नाम, बल्दियत और पते का पूर्ण विवरण कॉलम नंबर-7 में एफ0आई0आर0 लेखक ने किया है जिसके संबंध में प्र0आर0 रमेशसिंह अ0सा0-3 को हालांकि सुझाव देकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है किन्तु धर्मेन्द्र अ0सा0-2 ने इस बिन्दु पर भी विरोधाभाष उत्पन्न किया है। उसके मुताबिक रिपोर्ट के समय उसने आरोपीगण के पिता के नाम नहीं लिखाये थे बल्कि पैरा-13 मुताबिक वह यह कहता है कि पुलिस ने आरोपीगण से पूछकर लिखें होंगे जबकि आरोपीगण रिपोर्ट लिखे जाते समय तक पुलिस अभिरक्षा में होने का कोई प्रमाण नहीं है बल्कि आरोपीगण प्र0पी0-10 लगायत 13 के गिरफ्तारी पत्रकों के मुताबिक घटना के अगले दिन दिनांक 02.03.13 को गिरफ्तार किये गये। एफ0आई0आर0 में उनकी बल्दियत और पूरा पता कैसे लिखा, यह भी संदेह उत्पन्न करता है और अ0सा0-11 के मुताबिक आरोपीगण स्वयं थाने आये थे। जैसा कि पैरा-6 में कहा है। अर्थात् उनकी थाने पर प्रथम बार उपस्थिति दिनांक 02.03.13 की ही परिलक्षित होती है। ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है कि रिपोर्ट के लिखे जाने के पूर्व एफ0आई0आर0 लेखक को आरोपीगण की बल्दियत और पते की जानकारी हो।

52. इस प्रकार से अ0सा0-2 व 4 लगायत 6 एवं 10 तथा एफ0आई0आर0 लेखक अ0सा0-3 एवं विवेचक अ0सा0-11 की साक्ष्य के आधार पर आहतगण की चोटों के संबंध में जहाँ एक ओर मौखिक साक्ष्य और मेडिकल साक्ष्य में विरोधाभाषी और भिन्नतापूर्ण स्थिति है वहीं घटना के वृत्तांत के संबंध में भी आहतगण और चक्षुदर्शी साक्षी की साक्ष्य तात्विक विरोधाभाषों से परिपूर्ण है। हथियारों के संबंध में भी भिन्नता आई है। क्योंकि आहत धर्मेन्द्र की पीठ में चिकित्सक द्वारा कोई चोट नहीं पाई गई जबकि धर्मेन्द्र की पीठ में छोटेलाल के द्वारा सरिया मारना बताया है। पीठ की चोट के संबंध में गब्बर अ0सा0-10 पैरा-6 में खून बहने तक की बात कहता है। इसलिये उक्त परिस्थितियों में अभियोजन का संपूर्ण मामला ही संतोषनक हो जाता है। न्याय दृष्टांत **अंजनि चौधरी विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार (2011) वोल्यूम-1 एस0सी0सी0 पेज-887** पेश किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ मेडिकल एवं मौखिक साक्ष्य में भिन्नता हो,



चोटों व हथियारों बाबत भिन्नता पाई जावे वहाँ मौखिक साक्ष्य विश्वसनीय नहीं होती है। मोटरसाइकिल की विद्यमानता अ0सा0-2 के साक्ष्य में परिलक्षित होती है। जिससे बचाव पक्ष का आहतगण की चोटें दुर्घटना के फलस्वरूप आने की संभावना को ही अधिक बल मिलता है। जिसके बारे में चिकित्सकों ने राय व्यक्त की है और बचाव साक्ष्य दी है। बचाव साक्षी यकायक प्रकट नहीं किये गये हैं बल्कि प्रारंभ से ही आहतगण को उनके संबंध में सुझाव दिये गये हैं। हालांकि आहतों के द्वारा उन सुझावों को इन्कार किया गया है। किन्तु जहाँ चार व्यक्ति दो आहतों को चोटिल करें वहाँ ऐसा संभव नहीं है कि शरीर के केवल एक ही साइड में चोटें आयें। यह भी इसी परिस्थिति को बल प्रदान करते हैं कि चोटें किसी दुर्घटना के फलस्वरूप आई होंगी और सिलैण्डर की मांग को लेकर कोई विवाद देखते समय जुबानी रूप से हुआ हो जिसे उक्त घटना की शक्ल में पिरो दिया हो। इसकी संभावना अधिक दिखाई देती है। इसलिये आहतगण और चक्षुदर्शी साक्षी की साक्ष्य किसी भी बिन्दु पर विश्वसनीय नहीं रह जाती है और मौखिक साक्ष्य के आधार पर भी आरोपीगण के द्वारा घटना कारित किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। न्याय दृष्टांत **रमेशसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब 2002 जे0एल0जे0 (एस0सी0) पेज-3506** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ चक्षुदर्शी साक्षी विश्वसनीय और स्थिर न हों तो मामला संदिग्ध होगा और आरोपीगण संदेह का लाभ पाने के हकदार होंगे। आरोपीगण को संदेह का लाभ हमेशा ही मिलता है। ऐसा मार्गदर्शन माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **नारायण विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 1986 भाग-2 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 136** में भी दिया गया है। एक अन्य न्याय दृष्टांत गोलू विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य 2003 भाग-2 जे0एल0जे0 पेज-218 में मार्गदर्शन दिया गया है जिनके आधार पर आरोपीगण दोषी नहीं ठहराये जा सकते हैं।

53. बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य न्याय दृ0 बचाव पक्ष की ओर से न्याय दृ0 **हल्लू वि0 स्टेट ऑफ एम.पी.ए.आई.आर. 1974 एस.सी. -1936** अपील के बिन्दु पर है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि जहां दो मत संभव हों तो अभियुक्त के पक्ष वाले मत को गृहण किया जाना चाहिये। वर्तमान अवस्था में वह इसी कारण प्रयोज्य किए जाने योग्य नहीं है। तथा न्याय दृ0 **हेमराज वि0 स्टेट ऑफ हरियाणा (2005) बॉल्यूम-10 एस.सी.सी.-614 चांस बिटनेस** के संबंध में है, और अ.सा.-05 व 06 तथा 10 चांस बिटनेस भी ऊपर किए गये विश्लेषण मुताबिक नहीं माने गये हैं। बल्कि निर्मित किए जाना निष्कर्षित हुए हैं, इसलिये न्याय दृ0 प्रकरण में लागू किए जाने योग्य नहीं है तथा **सत्यनारायण वि. स्टेट ऑफ एम.पी0ए.आई.आर.-1972 सु.कोर्ट पेज-1309** के न्याय दृ0 में मृतक और साक्षी के समान मामले में सम्मिलित होने पर पुष्टि कारक साक्ष्य की होने की आवश्यकता होने का मार्गदर्शन किया है, ऐसी परिस्थिति भी इस प्रकरण में नहीं है। इसलिये उनका प्रकरण में कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

54. कथानक अनुसार आहत धर्मेन्द्र एवं राघवेन्द्र भारत गैस एजेंसी गोहद से नियमानुसार नंबर से गैस सिलेण्डर भराने के लिए जाना बताये गये हैं। दोनों आहत धर्मेन्द्र अ.सा.-2 और राघवेन्द्र अ.सा.-4 की साक्ष्य में उन्होंने यह स्वीकार



किया है कि गैस कनेक्शन उनके अन्य चचेरे भाई रविन्द्र तोमर का था, उसी का सिलेण्डर लेने वे गैस की किताब और खाली सिलेण्डर लेकर गये थे। यह भी कहा है कि घटना के बाद गैस की किताब और गैस सिलेण्डर एजेंसी में आरोपीगण बंद करके भाग गये थे। गैस सिलेण्डर और जो रविन्द्र तोमर नाम की गैस सिलेण्डर की किताब आहतगण ने बतायी है वह जब नहीं हुई है जबकि वे पुलिस को इस बारे में जानकारी देना कहते हैं जैसा कि धर्मेन्द्र अ.सा.-13 ने पैरा-10 और राघवेन्द्र अ.सा.-4 ने पैरा-9 में स्वीकार भी किया है। जिसका उल्लेख उनके पुलिस कथन प्र.डी.-1 व डी.-2 में नहीं है, न ही एफ आई आर प्र.पी.-3 में है कि रविन्द्र के नाम का कनेक्शन था और उसी का सिलेण्डर लेने गये थे। इस संबंध में विवेचक उपनिरीक्षक शिवकुमार शर्मा अ.सा.-11 ने अपनी अभिसाक्ष्य में भी यह बताया कि आहतगण ने चचेरे भाई रविन्द्र का सिलेण्डर भराने के लिए एजेंसी पर जाने की बात उसे कथनों में नहीं बतायी थी। धर्मेन्द्र के मुताबिक गैस सिलेण्डर किताब उसने एजेंसी पर दे दी थी। खाली सिलेण्डर और किताब पुलिस ने जब नहीं की। जो वह एजेंसी के पास ही होना पैरा-10 में एवं अ.सा.-4 पैरा-09 में बताता है। जबकि दीपू अ.सा.-5 आरोपीगण द्वारा सिलेण्डर और सिलेण्डर की डायरी लेकर मौके से भाग जाना कहता है और भागने के संबंध में धर्मेन्द्र अ.सा.-2 पैरा-10 में विपरीत कथन करते हुए कहता है कि झगड़े के बाद वे (हम लोग) भाग गये थे। आहतगण क्यों भागे इसका उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

55. गैस सिलेण्डर और किताब के संबंध में गिराज अ.सा.-6 का पैरा-03 में यह कहना रहा है कि आरोपीगण सिलेण्डर और किताब एजेंसी के अंदर बंद करके भाग गये थे तथा अन्य चक्षुदर्शी साक्षी गब्बरसिंह अ.सा.-10 भी पैरा-05 में गैस सिलेण्डर बंद करके आरोपीगण का चले जाना कहता है। गैस कनेक्शन, उसकी किताब और खाली गैस सिलेण्डर के संबंध में जहां आहतगण, चक्षुदर्शी साक्षियों में आपस में ही प्राथमिक संबंध की विसंगति है, वहीं दूसरी ओर उक्त वस्तुओं की जब्ती भी नहीं हुई है। अर्थात् इस बिन्दु पर भी अभियोजन का आधार सुदृढ़ नहीं है।

56. आरोपीगण से जो हथियार जब्त होना बताये गये हैं, उसकी स्थिति को देखा जाये तो कथानक मुताबिक राजवीर और छोटेलाल पर लोहे के सरिया व संतोष पर राजकुमार हॉकी बतायी गयी है। घटना के विवेचक उपनिरीक्षक शिवकुमार शर्मा अ.सा.-11 ने प्र.पी.-06 लगायत प्र.पी.-9 के द्वारा आरोपी राजवीर और छोटेलाल से लोहे के सरिया, संतोष से लाठी और राजकुमार से हॉकी उक्त आरोपीगण द्वारा क्रमशः प्र.पी.-14 लगायत प्र.पी.-17 के धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत लेखबद्ध ज्ञापनों में प्राप्त जानकारी के आधार पर बरामद करना बताये हैं। प्र.पी.-14 लगायत प्र.पी.-17 के मेमोरेण्डम कथनों के अनुसार थाने पर ही आरोपीगण से पूछताछ करके दि०-2/3/13 को उनके मेमोरेण्डम कथन लिये गये थे तत्पश्चात् गैस एजेंसी पर आकर गैस एजेंसी के पास पड़े खाली प्लॉट से उक्त हथियारों की जब्ती प्र.पी.-6 लगायत-9 के माध्यम से आरोपीगण से करना बतायी गयी है। प्र.पी.-14 लगायत प्र.पी.-17 के पंच साक्षी आरक्षक अनिल शर्मा अ.सा.-9 और प्र.आर तहसीलदार अ.सा.-12 हैं, जिन्होंने विवेचक की साक्ष्य का समर्थन अपनी अभिसाक्ष्य में किया है। उक्त विवेचक के द्वारा ही प्र.पी.-4 का

नक्शामौका घटना दि० को ही विवेचना प्राप्त होने के पश्चात सर्वप्रथम मौके पर जाकर तैयार करना भी कहा और ऊपर यह साक्ष्य आ चुकी है कि जब नक्शामौका तैयार किया गया था तब प्लॉट को बारीकी से देखा गया था, तब वहां कोई हथियार नहीं मिले थे । प्लॉट खुला स्थान है वहां कोई भी आ जा सकता है, ऐसी भी साक्ष्य स्पष्ट रूप से आयी है। फिर दूसरे दिन उक्त खुले प्लॉट से ही सरिया, लाठी और हॉकी की जब्ती होना संदेह उत्पन्न करता है। जिससे बचाव पक्ष का यह तर्क कि मिथ्या साक्ष्य निर्मित की गयी, इस बात को बल मिलता है । यदि वास्तव में उक्त खुले प्लॉट से उक्त हथियार जब्त होते तो वह घटना दि० को नक्शामौका बनाते समय जब्त हो सकते थे क्योंकि घटना दि० को ही नक्शामौका तैयार करने के पश्चात उक्त विवेचक ने घटनास्थल से खून आलूदा व सादा मिट्टी की जब्ती भी प्र.पी.-5 के अनुसार करना बताया है। जिसका समर्थन धर्मेन्द्र अ.सा.-2 और आरक्षक अनिल अ.सा.-9 अवश्य करते हैं । किन्तु खून आलूदा सादा मिट्टी के संबंध में कोई रासायनिक विश्लेषण की रिपोर्ट नहीं है और सर्वप्रथम तो आहतगण की साक्ष्य भी विश्वसनीय नहीं पायी गयी है इसलिये जब्ती महत्व नहीं रखती है और मेमोरेण्डम कथन की आवश्यकता होना भी दर्शित नहीं होता है क्योंकि खुले स्थान से जब्ती मौके पर बिना ज्ञापन दिये भी संभव थी ऐसे स्थानों से हथियारों की जब्ती नहीं है, जो केवल आरोपी की जानकारी में ही हो, जिससे उनका ज्ञापन लिया जाना सार्थक हो सके । इसलिये प्र.पी.-14 लगायत पी.-17 के दस्तावेज महत्वहीन हैं ।

57. जहां तक जब्ती का प्रश्न है, उसके संबंध में अभिलेख पर जो मौखिक साक्ष्य आयी है, उसमें घटना के आहत राघवेन्द्र अ.सा.-4 के पैरा-8 मुताबिक आरोपीगण मारपीट करने के बाद हथियार सरिया, हॉकी आदि लेकर भागे नहीं थे, मौके पर ही फेंककर गये थे, जिसे वह स्पष्ट करते हुए यह भी कहता है कि जहां सड़क पर झगडा हुआ था वह खुली जगह होकर आम थी कोई भी आ-जा सकता था, अर्थात वह ऐसे स्थान पर हथियारों का आरोपीगण द्वारा फेंका जाना कहता है जहां लोगों का आना जाना आसानी से हो । घटनास्थल प्र.पी.-4 के नक्शामौका मुताबिक अलग स्थान है और खाली प्लॉट जहां से हथियारों की जब्ती हुई वह एजेंसी के बगल में होकर अलग स्थान है । ऐसे में जब्ती का स्थान भी संदिग्ध है । हालांकि विवेचक और आहतगण ने अपने अभिसाक्ष्य में इस बात से इंकार किया है कि हथियार कबाड़े की दुकान से खरीदे गये और झूठी जब्ती बनायी । इस बिन्दु पर बचाव पक्ष की ओर से श्याम व.सा.-3 का कथन कराया गया है जिसमें नये बस स्टेण्ड के पास दारासिंह की कबाड़े की दुकान से जब्त हथियार लिये जाना बताये हैं । जिससे आहत धर्मेन्द्र अ.सा.-2 एवं विवेचक अ.सा.-11 ने इंकार अवश्य किया है। किन्तु जिस प्रकार की जब्ती बतायी जा रही है, जब्ती की कार्यवाही पर संदेह उत्पन्न होता है। और थाने पर आरोपीगण के गिरफ्तार किए जाने के बाद उनके मेमोरेण्डम कथन लेकर आरोपीगण को मौके पर ले जाकर प्लॉट से सरिया, हॉकी, डण्डे की जब्ती किए जाने के संबंध में कोई रोजनामचा सान्हा रवानगी वापिसी का न तो पेश किया है, जबकि विवेचक रोजनामचा में इन्द्राज करना बताता है ।

58. जब्ती के बिन्दु पर अन्य साक्षियों को देखा जाये तो दीपू अ.सा.-5 के पैरा-4 मुताबिक भीड़ भाड़ होने के कारण उसने यह नहीं देख पाया कि

आरोपीगण हथियार अपने साथ ले गये या वहीं छोड़ गये । लेकिन वह गैस सिलेण्डर व किताब ले जाते हुए देखना अवश्य कहता है। और प्र.पी.-6 लगायत-9 के जब्ती पत्रकों का पंच साक्षी गिराज अ.सा.-6 जोकि आहतगण का चचेरा भाई है, वह जब्ती के बिन्दु पर पक्षविरोधी होकर प्र.पी.-6 लगायत-9 के माध्यम से जब्ती का समर्थन नहीं करता है । इतना कहता है कि आरोपीगण झगड़े के बाद एजेंसी बंद करके भाग गये थे और ऐसा हो सकता है कि पुलिस ने आरोपीगण से हथियार जब्त किए हों और उसके हस्ताक्षर करा लिये हों, उसे ध्यान नहीं है ।

59. गब्बर अ.सा.-10 भी जब्ती का पंच साक्षी है, जो पैरा-2 में प्र.पी.-6 लगायत-9 मुताबिक लोहे के सरिया, लाठी, लुंहागी और हॉकी की जब्ती करना बताता है किन्तु जब्ती कहां हुई इसके बारे में उसने स्थिति स्पष्ट नहीं की है, बल्कि पैरा-5 में वह आरोपीगण के द्वारा घटना के बाद लाठी, सरिया, हॉकी अपने साथ लेकर भागना कहता है। यदि ऐसा माना जाये तो फिर खाली प्लॉट से जब्ती संभव नहीं है। अर्थात् सरिया, हॉकी व लाठी की जब्ती के बिन्दु पर भी अभियोजन साक्षी विरोधाभासी हैं । विवेचक दोनों पंच साक्षी गिराज और गब्बर का मौके पर ही मिलना कहता है, जबकि उक्त दोनों साक्षियों का ऐसा न तो कहना है, न ही ऐसा प्रकट हुआ है कि विवेचक को दोनों मौके पर मिले थे क्योंकि दोनों अलग अलग तरह से जब्ती के बिन्दु पर साक्ष्य दे रहे हैं । इसलिये प्र.पी.-06 लगायत पी. 09 एवं प्र.पी.-14 से प्र.पी.-17 के दस्तावेज जिस रूप में है, वैसे प्रमाणित नहीं होते हैं।

60. आरोपीगण की जहां तक गिरफ्तारी का प्रश्न है, गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दी गयी है और विवेचक शिवकुमार शर्मा अ.सा.-11 ने दि0-2/3/13 को थाने पर उपस्थित होने पर उनकी क्रमशः प्र.पी.-10 लगायत प्र.पी.-13 के माध्यम से गिरफ्तारी करना बतायी है। गिरफ्तारी की कार्यवाही के संबंध में जो पंच साक्षी हैं, उनमें कौशल शर्मा अ.सा.-7 ने गिरफ्तारी की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया, केवल अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं । दिलीप अ.सा.-8 ने गिरफ्तारी का समर्थन किया है और यह कहा है कि वह आरोपीगण के साथ थाने पर गया था अर्थात् गिरफ्तारी होना अवश्य प्रमाणित है किन्तु गिरफ्तारी होना मात्र अभियोजन की बतायी घटना को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है और उससे कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। बल्कि जब्ती निरर्थक और संदिग्ध है।

61. बचाव पक्ष की ओर से जहां तक यह तर्क किया गया है कि सीटी स्कैन और अस्थि भंजन के संबंध में आरोपीगण से धारा-313 द.प्र.सं. के तहत प्रश्न नहीं पूछे गये हैं, यह तर्क उनका अभिलेख के प्रतिकूल है क्योंकि आरोपीगण का धारा-313 द.प्र.सं. के तहत किए गये परीक्षण में प्रश्न क्र0-16 व 17 के माध्यम से सी.टी. स्कैन और अस्थि भंजन के संबंध में प्रश्न पूछे गये हैं ।

62. जहां तक विवेचक की अन्य कार्यवाही का प्रश्न है, जिसमें वह साक्षियों के उनके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध करना कहता है, घटनास्थल के आसपास दूध डेयरी, पत्थर का टाल आदि भी बताया गया है। जिनमें से किसी व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया गया है, और उसके संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया है कि जब वह नक्शा बनाने के लिए मौके पर गया उस समय दूध डेयरी बंद थी,



पत्थर के फड पर कोई व्यक्ति नहीं मिला था। इसलिये वहां के व्यक्ति साक्षी नहीं बनाये गये। किन्तु बाद में विवेचना के दौरान भी सत्यता का पता लगाने के लिए विवेचक जा सकता था किन्तु वह नहीं गया, उसे यह भी जानकारी नहीं है कि उसने आहत धर्मेन्द्र व राघवेन्द्र के कथन कहाँ लिये, बाद में वह धर्मेन्द्र का कथन थाने पर लेना कहता है। ऐसे में विवेचक द्वारा की गयी कार्यवाही औपचारिक स्वरूप की प्रकट होती है।

63. इस तरह से घटना के आहत धर्मेन्द्र अ.सा.-2, राघवेन्द्र अ.सा.-4 चक्षुदर्शी साक्षी दीपू अ.सा.-5, गिराज अ.सा.-6, गब्बर सिंह अ.सा.-10 जहां एक ओर निकट संबंधी और हितबद्ध साक्षी हैं, उनकी अभिसाक्ष्य अप्राकृतिक स्वरूप की आयी है, प्रत्येक बिन्दु पर विसंगतियां और तात्त्विक स्वरूप के विरोधाभास भी उत्पन्न हुए हैं और विकास भी किया है तथा साक्षी गब्बर सिंह के संबंध में हितबद्धता को छिपाया भी गया है क्योंकि धर्मेन्द्र अ.सा.-2 के मुताबिक गब्बर उसके पिता और भाई का व्यवहारी होकर आना जाना भी कहता है, जबकि राघवेन्द्र अ.सा.-4 के मुताबिक गब्बर से उसका कोई पुराना रिश्ता नहीं है और वह प्रकरण में साक्षी बनने के पहले उसका नाम तक नहीं जानता था। जबकि स्वयं गब्बर अ.सा.-10 मुताबिक आहतगण को वह उस समय से जानना कहता है, जब वे छोटे छोटे थे और उनसे राम-राम, श्याम-श्याम का व्यवहार भी बताता है अर्थात् मिलना जुलना भी उसका है, जिसे राघवेन्द्र क्यों इंकार कर रहा है, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया है, संभवतः वह निकटता को छिपाना चाहता है, इसलिये कोई भी साक्षी विश्वसनीय माने जाने योग्य नहीं है। इस संबंध में न्याय दृ० रंजीत सिंह एवं अन्य वि० स्टेट ऑफ एम.पी.(2011) बॉल्यूम-2 एस.सी.सी. पेज-227 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जब सत्य असत्य को अलग करना मुश्किल हो, अर्थात् भूसे में दाने इस प्रकार हों कि उन्हें अलग करना मुश्किल हो तो ऐसे साक्षी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस श्रेणी के ही उपरोक्त साक्षी प्रकट हुए हैं। इसलिये उनकी किसी भी बात पर भरोसा किए जाने की परिस्थिति नहीं है जिससे पूरा मामला संदिग्ध है।

64. इस तरह से उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर अभियोजन अपना मामला किसी भी विरचित आरोप के संबंध में आरोपीगण के विरुद्ध युक्ति युक्त संदेह के परे यह प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि दिनांक-01/03/2013 को दिन के 04:30 बजे भारत गैस एजेंसी बंधा के सामने गोहद चौराहा रोड, कस्बा गोहद पर आहतगण राघवेन्द्र और धर्मेन्द्र को प्राणघातक, गंभीर व साधारण उपहतियां कारित करने के लिए आरोपीगण ने सामान्य आशय निर्मित किया और उसके अग्रसरण में सरिया, हॉकी, लाठी आदि से आहतगण को चोटें पहुंचायी, राघवेन्द्र व धर्मेन्द्र को आशय या ज्ञानपूर्वक चोटें पहुंचायी जिसके कारण यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो इसके लिए वह हत्या के अपराध के दोषी होते।

65. फलतः आरोपीगण को विरचित आरोप धारा-307/34, 325/34, 323/34 (दो बार) एवं 294 भा.दं.वि.के आरोपों से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

66. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।



67. प्रकरण में जप्त संपत्ति सरिया, हॉकी एवं लाठी मूल्यहीन होने से अपील अवधि उपरांत नष्ट की जावे । अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य होगा ।

68. निर्णय की एक प्रति डी.एम.भिण्ड को भेजी जावे।

दिनांक: 16 जून 2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)